पुलिस विज्ञान

अंक-137 (जुलाई-दिसंबर-2017)

सलाहकार समिति

डा. आनन्द प्रकाश महेश्वरी

महानिदेशक

वरुण सिंधु कुल कौमुदी

अपर महानिदेशक

डा. निर्मल कुमार आजाद

महानिरीक्षक (एन.पी.एम.)

संपादक :

बी.एस. जायसवाल

उप महानिरीक्षक (एस.एंड.पी.)

दिवाकर शर्मा

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

एन एच-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती है। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यत: 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क करें।

(दूरभाष: 011-26781310 तथा फैक्स: 011-26781315)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 25,000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 28,000/- रु. प्रदान किए जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 011-26781326 व 011-26781314)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोध कर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (अनु.) एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (फोन नं. 011-26781326 एवं 011-26781314) पर संपर्क कर सकते हैं तथा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का जनवरी-जून, 2017 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए अपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **पुलिस थाने में आवश्यक उपकरण और हथियार, स्मार्ट शहर की स्मार्ट पुलिस, आतंकवाद, मीडिया कवरेज और सुरक्षाबलों की भूमिका, साइबर अपराध की दुनिया में युवाओं के बढ़ते कदम, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, हमारा माइक्रोबायोम, सामाजिक कुरीतियां और पुलिस की भूमिका, उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उत्पीड़नशास्त्र** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों में समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगवाने के लिए संपर्क करें:-

संपादक
पुलिस विज्ञान
एन एच-8, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
वैब साइट-डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

वर्ष-36 जुलाई-दिसम्बर, 2017

विषय सूची

सामग्री	लेखक	पृष्ठ सं.
पुलिस थाने में आवश्यक उपकरण और हथियार	*इंद्रराज सिंह*	1
आंतकवाद, मीडिया कवरेज और सुरक्षा बलों की भूमिका	*डा. दिनेश कुमार गुप्ता*	12
स्मार्ट शहर की स्मार्ट पुलिस	*डा. जोरावत सिंह राणावत*	21
साइबर अपराध की दुनिया में युवाओं के बढ़ते कदम	*प्रो. अनुपम शर्मा*	28
''अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''	*प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत एवं ज्योति भारद्वाज*	37
हमारा माइक्रोबायोम *क्या अपराध अन्वेषण में मानवीय DNA के साथ-साथ सूक्ष्मजीव भी उपयोगी है?*	*डॉ. पंकज श्रीवास्तव एवं तोषी जैन*	43
सामाजिक कुरीतियां और पुलिस की भूमिका	*प्रो. विमला उपाध्याय*	48
उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उत्पीड़नशास्त्र	*डा. मीरा सिंह*	52

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जेड. खान, *नई दिल्ली,* **श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी,** *लखनऊ,* **प्रो. अरुणा भारद्वाज,** *नई दिल्ली,* **प्रो. जे.डी. शर्मा,** *सागर (म. प्र.),* **प्रो. स्नेहलता टंडन,** *नई दिल्ली,* **प्रो. वी.के. कपूर,** *जम्मू,* **डा. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी,** *मेरठ,* **डा. अरविन्द तिवारी,** *मुंबई,* **डा. उपनीत लल्ली,** *चंडीगढ़,* **श्री वी.वी. सरदाना,** *फरीदाबाद,* **श्री सुनील कुमार गुप्ता,** *नई दिल्ली*

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : सागर प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, नई दिल्ली

पुलिस थाने में आवश्यक उपकरण और हथियार

इंद्रराज सिंह
पुलिस उप महानिरीक्षक,
सीमा सुरक्षा बल, जम्मू क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर

पुलिस स्टेशन एक अहम और जमीन पर कार्य करने वाली प्रथम पुलिस इकाई है। पुलिस स्टेशन में किसी भी रिपोर्ट पर देर से कार्रवाई पूरे पुलिस विभाग के कार्य की छवि को दर्शाती है। प्रत्येक थाने की कार्रवाई की क्षमता, उपलब्ध पुलिस कर्मचारियों की संख्या, गाड़ियां, हथियार, गोला-बारूद, संचार के उचित साधन तथा अन्य मुख्य उपकरणों के ऊपर निर्भर करती है। प्रत्येक थाने की पुलिस कर्मियों की संख्या अलग अलग होने के कारण प्रत्येक थाने में उपकरण, गाड़ियां, संचार के उपकरण तथा किस्म-किस्म के हथियार और गोला-बारूद भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन किसी भी पुलिस थाने की संख्या पूर्णरूप से सही नहीं है, जिस कारण से पुलिस स्टेशन में उपकरणों और हथियारों की एक निश्चित मात्रा बताना या स्केल फिक्स करना कठिन कार्य है।

ब्रिटिश पुलिस और आज के भारत के पुलिस के कार्य में भारी अन्तर है। भारत एक विकासशील देश है। प्रत्येक क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। उसी प्रकार से पुलिस की ड्यूटियों और जिम्मेदारियों में भी काफी बदलाव आता जा रहा है। आज की पुलिस आम अपराधों के अलावा साइबर क्राइम जैसे अपराधों से भी लड़ रही है। वैसे देखा जाए तो आज के परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अपराधियों द्वारा प्रयोग किसी न किसी स्तर पर अपराध अन्वेशन में सहायक होता है लेकिन इसके लिए पुलिस कर्मचारियों को आज की तकनीक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है जो कि एक ट्रेनिंग का विषय है।

प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। किसी राज्य में ऊंचे पहाड़ हैं तो किसी राज्य में रेगिस्तान है। किसी राज्य में जंगल है तो किसी राज्य में समतल भू-भाग है। प्रत्येक राज्य की पुलिस अपने-अपने राज्य में थाने स्थापित कर पुलिस व्यवस्था कायम रखे हुए है। इसके अलावा कुछ राज्यों में माओवादियों की समस्या है तो किसी राज्य में नक्सलियों की समस्या है। किसी राज्य में सूखे की समस्या है तो किसी राज्य में बाढ़ की समस्या आती रहती है। जहां इलाके ज्यादा ऊंचे-नीचे तथा ज्यादा जनसंख्या वाले नहीं होते हैं, वहां अपराधों की संख्या कम होती है तथा पुलिस भी कम संख्या में नियुक्त की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक पुलिस थाने के अन्दर ऐसे कौन-कौन से सामान, हथियार और उपकरण होने चाहिए जो पुलिस कर्मचारियों को समाज की सेवा के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित कर पुलिस कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सहयोगी हो।

शायद किसी भी थाने में हथियार और गाड़ी के अलावा किसी अन्य उपकरणों का स्केल निश्चित नहीं है। हथियार सिर्फ व्यक्तिगत हथियार के तौर पर दिये गये हैं तो ग्रामीण थानों में हल्के वाहन तथा मोटर साइकिल ही अधिकृत किये गये हैं। शहरी थानों के लिए व्यक्तिगत हथियार, दंगाप्रतिरोधी बन्दूकें दी गई हैं। आज के वैज्ञानिक युग में पुलिस के पास उचित मात्रा में गाड़ियों का होना अति आवश्यक है। आए दिन

अखबारों में अपराध के घटित होने के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया पर अंगुलियां उठाई जाती हैं, क्योंकि पुलिस का तुरंत मौके पर पहुंचना तथा अपराधियों का पीछा करके पकड़ना तभी संभव है जब पुलिस के पास उचित मात्रा में वाहन उपलब्ध हों।

हथियारों के बारे में अगर बात करें तो कुछ थानों में अवश्य ही कुछ विशेष हथियारों की आवश्यकता है। जैसे जो थाने नक्सल और माओवादी समस्या से प्रभावित हैं, ऐसे पुलिस स्टेशनों में आधुनिक हथियारों की अति आवश्यकता है जिससे पुलिस कर्मचारी अपने थाने की सुरक्षा के साथ-साथ नक्सलियों का सामना भी कर सकें। नक्सल प्रभावित थाने के क्षेत्रों में जहां पर आतंकी गतिविधियों के अलावा आए दिन रास्तों/सड़कों पर आई.ई.डी. (IED) लगा दी जाती है जिसकी अनभिज्ञता के कारण पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है उन्हें अगर बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता तो कम अवश्य ही किया जा सकता है। नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त और घायल हुए पुलिस कर्मचारियों का लेखा-जोखा कुछ इस प्रकार है-

क्रम सं.	वर्ष	मारे गये पुलिसकर्मी	घायल पुलिसकर्मी
1.	2008	129	168
2.	2009	234	196
3.	2010	138	104
4.	2011	132	90
5.	2012	83	112
6.	2013	78	108
7.	2014	52	84

(स्त्रोत- NCRB, Crime in India 2014)

उपर्युक्त तालिका में दिए गए विवरण से मालूम होता है कि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी पर मरने और घायल होने की संख्या सन् 2008 में 129 थी जो धीरे-धीरे 2010 में 138 हो गई और 2012 के आंकड़ों के अनुसार 83 पुलिस कर्मचारी मारे गए तथा 112 कर्मचारी जख्मी हुए। हम समझ सकते हैं कि राज्य पुलिस के कर्मचारियों को आतंकवाद, नक्सलवाद तथा आई.ई.डी. ब्लास्ट जैसे विषय पर पूर्ण रूप से ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि पुलिस का कार्य कुछ भिन्न है। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक राज्य की पुलिस को इस समस्या से लड़ने के लिए पुलिस को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा में भी पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में हुए दंगों में मारे और जख्मी पुलिस कर्मचारियों के विवरण को देखें तो स्थिति कुछ ज्यादा खराब है। पुलिस के मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन दंगों में भी राज्य पुलिस कर्मचारियों की मौत और जख्मी होने की वारदात आम बात हो गई है जो पुलिस कर्मचारियों की ऑपरेशन तैयारी को जाहिर करती है। पिछले कुछ सालों में दंगों में मारे गए और घायल कर्मचारियों का लेखा-जोखा इस प्रकार है-

क्रम सं.	वर्ष	मारे गये कर्मचारी	घायल कर्मचारी
1.	2008	3	2,129
2.	2009	9	1,783
3.	2010	46	4,136
4.	2011	12	1,884
5.	2012	13	1,769
6.	2013	5	1,930
7.	2014	5	1,349

(स्त्रोत- NCRB, Crime in India 2014)

उपर्युक्त आंकड़ों से मालूम होता है कि हमारे पुलिस तंत्र में पुलिस थाने के स्तर पर किसी न किसी चीज की कमी है जिससे पुलिस कर्मचारियों की मौत हो रही है। इसके कारण चाहे जो भी हों, जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण की कमी, हथियारों की कमी, संचार के साधन तथा यातायात के साधनों की कमी के रूप में भी हो सकती है। आज के परिवेश में पुलिस के कार्य और जिम्मेदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन एक पुलिस में कितनी मात्रा में हथियार, गाड़ी, संचार के साधन तथा अन्य सामान होना चाहिए, इसकी एक निश्चित मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है। आगे इसी के बारे में बात करेंगे-

1. सड़क पर अल्पकालीन रुकावट बनाने के उपकरण:-

वर्ष 2013 के दौरान एक राज्य में कुछ पुलिस कर्मचारी शाम के दौरान गाड़ियों का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ कर्मचारी गाड़ियों को जाने और एक तरफ खड़ी करने के लिए इशारे और आवाज देकर बता रहे थे। कुछ जवान सड़क के किनारे खड़े थे। अचानक एक वाहन को एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर चढ़ा दिया। उसी कतार में खड़े अन्य पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी गाड़ी चढ़ गई। इस घटना में 7 पुलिस कर्मचारी मारे गए। ड्राइवर मौके से गाड़ी भगा कर ले गया तथा कुछ दूरी के बाद गाड़ी छोड़कर भाग गया। यहां मसला ड्राइवर के भागने का नहीं है बल्कि इस घटना के घटित होने और पुलिस द्वारा किए जा रहे निरीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरणों का है क्योंकि ड्राइवर को किसी न किसी तरह से पकड़कर कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन क्या वह हमारे इन 7 पुलिस कर्मचारियों को जीवित कर पाएगा या वह हमारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार का पालन पोषण कर सकेगा? गाड़ियों का निरीक्षण आम और रोजाना का रुटीन कार्य है जिसको बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाता है लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस थानों में उचित उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है। ज्यादातर थानों में पुलिस ने सेल्फ इम्प्रोवाइज उपकरण बनाए हुए हैं, जिनके इस्तेमाल में कभी-कभी पब्लिक का भी नुकसान होता है। साथ ही यातायात की समस्या भी बन जाती है ऐसे उपकरणों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यह आवश्यक है कि एक पुलिस थाने में कुछ उपकरण जो दिन-प्रतिदिन प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के अलावा भी होना आवश्यक है जिन्हें जरूरत के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी और आसानी से ले जाया जा सके। अत: उचित मात्रा में सड़क रोधक उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए।

2. सर्च लाइट

जैसा कि इस उपकरण के नाम से ही विदिवत है। यह उपकरण रात में किसी भी अपराधी की देखभाल तथा घटना स्थल की सर्च करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आम तौर पर देखा गया है कि रात में घटित अपराध या प्राकृतिक आपदा से जुड़े नुकसान को सही तरह से देखने तथा अनुमान लगाने के लिए दो या चार सेल की बैटरी का प्रयोग किया जाता है जिससे पूरी रोशनी नहीं मिल पाती तथ अहम सबूतों को इकट्ठा नहीं कर पाते। इसका फायदा अपराधियों को मिल जाता है। थानों में इस उपकरण की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। रात में अपराधियों का पीछा करने तथा इलाकों की छानबीन के लिए उचित प्रकाश के लिए

उपकरण नहीं होने के कारण थाने के वाहन (जीप) के ऊपर दो लाईट लगी होती हैं जिनका इस्तेमाल रात में किया जाता है। थाने के अंदर एक गाड़ी के ऊपर लगी दो लाईट कितना और किस दिशा में खेतों में और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कितना प्रकाश डाल पाएगी, यह सोचने और समझने का विषय है। आज की पुलिस ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए तथा सामाजिक परिवर्तन के दौर में पुलिस को अच्छे और जरूरी उपकरणों से आत्मनिर्भर करने की आवश्यकता है। एक पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए कम से कम एक सर्च लाइट पुलिस स्टेशन की सुरक्षा के लिए तथा एक सर्च लाइट थाने के वाहन में तथा इसके अलावा 4 सर्च लाइट और होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल Patrol Party तथा बीट अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है तथा किसी अपराध के घटित होने के बाद घटना स्थल की छानबीन या अपराधियों को भी बंदी बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। यानि कुल कम से कम 08 सर्च लाइट एक पुलिस थाने के लिए निश्चित होना आवश्यक है। ज्यादा बड़े थानों, ज्यादा जनसंख्या और अधिक अपराध वाले इलाकों में सर्च लाइट की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

3. दंगारोधक हथियार और गोला-बारूदः-

शहरी इलाकों में धरना प्रदर्शन, सड़कों पर जाम लगना, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना तथा थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी सबसे पहले कार्रवाई करते हैं यानि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले थाने के कर्मचारी ही पहला खतरा झेलते हैं। अगर किसी धरना प्रदर्शन से निपटना है तो उसके लिए अलग तकनीक या योजना तथा दूसरे हथियारों की जरूरत पड़ती है। अगर भीड़ से निपटना है तो उसके लिए अलग तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। आम जनता धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस से लोहा लेती है यानि बगैर किसी डर और फिक्र के पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पत्थर इत्यादि का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पुलिस कर्मचारी घायल हो जाते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में किसी पुलिस कर्मचारी का घायल होना पुलिस बल के मनोबल पर असर डालता है तथा ऐसी स्थिति में आम जनता का हाथ ऊपर हो जाता है यानि पुलिस को हथियार या अन्य साधनों के अभाव के कारण थोड़ा पीछे हटना पड़ जाता है। कभी-कभी हमारे पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु भी हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए एक थाने के अन्दर निम्नलिखित हथियार और गोला बारूद अति आवश्यक है-

क्रम सं.	उपकरण का नाम	संख्या
1.	बॉडी प्रोटेक्टर	08
2.	एंटी राइअट पॉली कार्बोनेट शील्ड	08
3.	दंगारोधी हेलमेट	08
4.	गैस गन	08
5.	आंसू गैस के गोले	144 (भिन्न भिन्न प्रकार के)
6.	दंगारोधी राईफल (303'')	04 (रबड़ बुलेट, प्लास्टिक पैलेट)
7.	12 बोर पम्प एक्सर गन (गोला बारूद के साथ)	02

4. हथकड़ीः-

अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लोहे की

हथकड़ी का प्रयोग किया जाता रहा है यह सब अपराधियों को पुलिस की गिरफ्त से भागने की घटना को रोकने के लिये तथा पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला बोल कर भागने की कोशिश तथा दूसरी पार्टी के ऊपर हमला करने को रोकने में बहुत सहयोग रहा है। इसके अलावा खुले हाथ अपराधियों को ले जाने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या भी ज्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन कुछ कारणों से सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को हथकड़ी न लगाकर पेश करने को आदेश दिया है। लेकिन जो अपराधी खतरनाक किस्म के होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उचित आदेश लेकर आज भी इन हथकड़ियों का प्रयोग कभी-कभी किया जाता है। भारत की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के साथ-साथ अपराधियों और अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिससे पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और कार्य के घंटों में बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन एक पुलिस स्टेशन में हथकड़ियों का होना अति आवश्यक है अत: एक पुलिस स्टेशन में कम से कम 15-20 हथकड़ियां होनी चाहिए।

5. दूरबीन:-

दूरबीन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक पुलिसकर्मी काफी दूर हो रही मानवीय हलचल को आसानी से देख सकता है। आम बाजार में ये दूरबीनें आसानी से मिल जाती हैं लेकिन इनका उचित उपयोग पुलिस विभाग में ही होता रहा है। इस उपकरण से किसी भी बड़े धार्मिक, त्यौहारिक तथा राजनैतिक समारोह में नजर रखने के लिए उचित सुरक्षा को सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पुलिसकर्मी दूर-दराज के इलाके पहाड़ी रेगिस्तान तथा जंगलों के इलाकों में उपद्रवियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं ऐसे इलाकों में इस दूरबीन का उपयोग उचित रहा है। दिन-प्रतिदिन पुलिस का कार्य उपद्रवियों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान दूरबीन का प्रयोग कर मौके पर तैनात पुलिस कमांडर द्वारा उपद्रवियों/अपराधियों की हलचल को देखकर अपनी ऑपरेशनल युद्धकला में फेरबदल करके आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त बातों को मद्देनजर रखते हुए तथा पुलिस आधुनिकीकरण की जरूरत के कारण प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 6-7 अच्छी दूरबीनों का होना अति आवश्यक है।

6. बुलेटप्रूफ जैकेट :-

पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। आज का अपराधी स्वचालित हथियारों से लैस है लेकिन कुछ राज्यों में आज भी हमारे पुलिसकर्मी 303 राईफल से ड्यूटी कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष पुलिस आधुनिकीकरण के लिए फंड देती रहती है। आधुनिकता की आवश्यकता के अनुसार बुलेटप्रुफ जैकेट एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आज की पुलिस कानून और व्यवस्था के साथ नक्सलियों तथा अन्य उपद्रवियों से भी लोहा ले रही है। इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए तथा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए और उनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि पुलिस थाने के स्तर पर भरपूर संख्या में बुलेटप्रुफ जैकेटों का होना अति आवश्यक है। जिस पुलिस थाने की मैन पॉवर 50 कर्मचारियों की है तो ऐसे पुलिस स्टेशन में कम से कम 25 बुलेटप्रुफ जैकेट होना अति आवश्यक है।

7. एन.वी.डी. (Night Vision Device)/एच.एच.टी.आई. (Hand Held Thermal Imager):-

प्रत्येक थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में अपराधियों को पकड़ने, अपराधों को रोकने तथा अपने इलाके को अपराधमुक्त रखने के लिए रात में गश्त तथा नाकाबन्दी करते हैं जिससे समाज के लोगों को पुलिस की उपस्थिति के साथ-साथ विश्वास पैदा होता है। साथ ही अपराधियों की अनचाही गतिविधियों पर भी रोक लगती है। रात की गश्त तथा नाकाबन्दी से कभी-कभी महत्वपूर्ण हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को भी पकड़ लिया जाता है जो पुलिस कर्मचारियों की एक अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। माओवाद/नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में भी पुलिस नाकाबन्दी लगाकर नक्सलियों की हलचल को नियंत्रण करने तथा गिरफ्तार करने में भी सफल होती है और ऐसे ऑपरेशन ज्यादातर रात के समय ही किए जाते हैं।

रात में व्यक्ति की देखने की क्षमता बहुत कम होती है तथा रात में दूर तक देखने के लिए एक अच्छे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। आज ऐसे बहुत सारे उपकरण भिन्न-भिन्न कंपनियों और आकार में बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसे उपकरण के इस्तेमाल से अपराधियों की अनावश्यक गतिविधियों को खोज कर उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। एनवीडी (NVD) इलैक्ट्रॉनिक उपकरण से जो बैटरी से चालू किया जाता है 300-500 मीटर तक के मानवीय हलचल का पता लगाया जा सकता है तथा एचएचटीआई उपकरण के द्वारा 2 से 3 किमी. तक की दूरी में संदिग्ध हरकत का पता लगाया जा सकता है। इन उपकरणों से अपराधियों की हरकतों को खोजकर पुलिस विभाग के कर्मचारी अपने ऑपरेशन की सटीक योजना बना सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर योजना में तबदीली ला कर सफल ऑपरेशन का अंजाम दिया जा सकता है। अत: एक पुलिस स्टेशन में कम से कम 03 NVD और 01 HHTI का होना अति आवश्यक है जो कि पुलिस स्टेशन नक्सल प्रभावित हैं ऐसे पुलिस स्टेशनों में 02 HHTI भी दी जा सकती है।

8. हथियार और गोला-बारूद:-

भारत की जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ-साथ अपराधी नये-नये तरीकों से अपराध कर रहे हैं जिसमें आधुनिक मोबाइल तकनीक तथा स्वचालित हथियार इत्यादि का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। पुलिस ऐसे अपराधों को खोजने में तथा असली अपराधी को पकड़ने में और आमने-सामने मुठभेड़ होने से अपराधी आसानी से बचने में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक राज्य की पुलिस अपने पुलिस कर्मियों को अपराध में की जाने वाली आधुनिक तकनीक के बारे में पूर्ण प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रही है तथा राज्यों में उपलब्ध हथियार 303 राईफल, पुरानी कारबाईन को एके-47 राईफल, 5.56 राईफल तथा एमपी-5 कारबाईन से बदल रही है। इन नये हथियारों का प्रशिक्षण नये भर्ती पुलिसकर्मियों को बेसिक प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है और पुराने पुलिस कर्मियों का छोटे-छोटे कोर्स कराकर प्रशिक्षित किया जाता है। तकनीक में दिन-प्रतिदिन बदलाव हो रहा है तथा पुलिस का मुख्य कार्य पब्लिक के साथ समन्वय बनाकर अपराधों पर नियंत्रण रखना प्रथम कर्तव्य है लेकिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ के कारण सेल्फ डिफेंस में स्वचालित हथियार का भी प्रयोग करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति दंगों पर काबू करते समय भी हो जाती है लेकिन ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक

दौर में हवाई फायरिंग से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन दंगा नियंत्रण के लिए आज भी ऐसे बहुत से उपकरण जैसे आंसू गैस, चिल्ली बम, पेपर बॉल उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल करके दंगों और उत्तेजित भीड़ पर आसानी से काबू पाया जा सकता है।

कुछ पुलिस स्टेशन डकैती तथा नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे पुलिस स्टेशनों को आधुनिक हथियारों तथा उपकरणों की उचित मात्रा में होना अति आवश्यक है। एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर के पद के अधिकारी नियुक्त रहते हैं तथा कांस्टेबल पद के कर्मचारी के पास 7.62 राईफल या 5.56 राइफल्स दी जा सकती है। हेड कांस्टेबल के रैंक के कर्मचारी के पास मशीनगन या एमपी-5 भी हो सकती है तथा असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर/सब इंस्टपैक्टर तक की रैंक के कर्मचारी के पास केवल पिस्टल भी हो सकती है। इसके अलावा शहर में स्थित पुलिस स्टेशनों में दंगा रोधक हथियार तथा गोला-बारूद उचित मात्रा में दिया जाना अति आवश्यक है।

हथियारों की सारणी:-

क्रम सं.	हथियार का नाम	संख्या
1.	7.62	30 प्रतिशत सिपाहियों के पास
2.	5.56	30 प्रतिशत सिपाहियों के पास
3.	AK-47	35 प्रतिशत सिपाहियों के पास
4.	TGG	03 प्रत्येक पुलिस स्टेशन

9. भूकम्प आपदा से निपटने के लिए उपकरण:-

अगर हम भूकम्प या किसी आपदा की बात करें तो पुलिस विभाग सबसे पहले पहुंच कर स्थिति के हिसाब से बचाव कार्य करती है। आज के समाज की भी पुलिस से यही अपेक्षा है कि किसी भी प्रकार की आपदा में पुलिस सबसे पहले मौजूद हो। लेकिन यह पुलिस विभाग के लिए एक असम्भव सा कार्य है क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी को प्राकृतिक आपदा जैसी आपत्तियों से या उसके अपने कार्य की सीमा के बाहर कार्य करने के लिए जानकारी होनी अति आवश्यक है लेकिन फिर भी आपदा के राहत कार्य के लिए पुलिस का ही उपयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं कि आए दिन किसी न किसी शहर में कोई न कोई भवन गिर जाता है। ऐसी घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करती है लेकिन उनके पास कुछ करने के आवश्यक उपकरण नहीं होते जिससे शुरूआत के दौरान दबे लोगों को नहीं बचा पाते। भारत के सभी मेट्रो शहरों में ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं तथा आने वाले दिनों में बिल्डिंगों के गिरने का सिलसिला बढ़ सकता है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए कुछ उपकरण जैसे हथौड़ा, वायर कटर, सम्भल, छोटा गैस कटर जैसे उपकरण जो एक छोटी गाड़ी में रखकर घटनास्थल पर प्रयोग किया जा सकता है तथा इन उपकरणों का प्रयोग सड़क दुर्घटना में गाड़ी में फंसे व्यक्तियों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। अत: एक पुलिस थाने में ऐसे उपकरणों का एक सेट भी होना अति आवश्यक है।

10. हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर:-

मीडिया का बोलबाला होने के कारण, नेता भी पब्लिक की समस्याओं को सुनने और निवारण करने के लिए उत्साहित रहते हैं तथा कोशिश करते हैं कि

पब्लिक को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ऐसे अचानक और निश्चित दौरे या रैली के दौरान सुरक्षा की समस्या बढ़ जाती है। पहले से ही निश्चित राजनैतिक रैलियों के लिए डीएफएमडी तथा सुरक्षा जांच के उपकरण एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिए जाते हैं जिनको भेजने में काफी समय और पैसे की बर्बादी होती है। अगर प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर कम से कम डीएफएमडी और एचएसएमडी दे दिए जाएं तो सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ एक जिले से दूसरे जिले तक लाने ले जाने की समस्या का निदान हो सकता है। इसके अलावा किसी भी थाने के इलाके में किसी अपराधी के पास हथियार की खबर इत्यादि को एच.एच.एम.डी. के साथ खोजा जा सकता है। अत: एक पुलिस स्टेशन में लगभग और कम से कम 01 डी.एफ.एम.डी. या 6 एच.एच.एम.डी. अधिकृत होने अति आवश्यक हैं।

11. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर:-

पुलिस कर्मचारियों के पूरे प्रयास के बाद भी थाने के इलाके में अपराध होते रहते हैं। अपराधी नये-नये तरीकों से अपराध करते रहते हैं लेकिन पुलिस कर्मचारियों को अपराधियों द्वारा अपनाए गये तरीकों के बारे में अपराध घटित होने के बाद ही मालूम होता है। प्रत्येक अपराधी अलग-अलग तरीकों से अपराध करते हैं जिन तरीकों की जानकारी जिले के सारे पुलिसकर्मियों को नहीं होती। अपराधियों के द्वारा अपनाए गये नये-नये अपराध के तरीकों के बारे में जानकारी अति आवश्यक है जो प्रत्येक थाने में पावर प्वाइंट प्रैजेन्टेशन देकर सभी पुलिस कर्मचारियों को बताया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में उपस्थित कर्मियों को समय-समय पर मोटीवेशन टेली फिल्म दिखाकर उनके आत्मविश्वास को ऊंचा रखा जा सकता है, अत: थाने में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होना आवश्यक है।

12. कम्प्यूटर और फैक्स मशीन:-

आधुनिक युग में ऑफिस के सभी कार्य कम्प्यूटर पर ही होते हैं जिसमें इन्टरनेट की सहायता से ई-मेल के द्वारा जरूरी और अति आवश्यक सूचना सेकेन्डों में आवश्यक अधिकारी तक पहुंचाई जा सकती है। इन्टरनेट संचार का बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि अतिशीघ्र किसी भी चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है लेकिन कभी-कभी इन्टरनेट की सेवाएं खराब हो जाती हैं तो सूचनाएं और पत्र सुरक्षा की दृष्टि से इन्टरनेट के द्वारा नहीं भेजे जा सकते। इसके लिए प्रत्येक थाने में एक फैक्स मशीन का होना अति आवश्यक है। बड़े थानों में कम्प्यूटर की संख्या को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है।

13. संचार के उपकरण:-

संचार किसी भी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी होती है क्योंकि संचार के माध्यम से ही ऑपरेशन के दौरान शीघ्रता से जरूरी आदेश दिए जाते हैं जिससे अपराधियों को समय से पकड़ना तथा नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों की मूवमेन्ट तथा मुठभेड़ के दौरान प्रभावशाली जीत हासिल की जा सकती है। प्रत्येक थाने का संचार, उपभागों तथा जिला के पुलिस अधीक्षकों से ही होता है। अगर लाइन ऑफ साइट साफ है तो दूसरे जिले के थाने भी वार्तालाप सुन सकते हैं। ज्यादातर पुलिस के द्वारा एनालॉग रेडियो सेट्स प्रयोग में लाए जाते रहे हैं लेकिन तकनीकी के विकास

के कारण अब डिजिटल रेडियो सेट का प्रयोग हो रहा है। ये सारे सेट वी.एच.एफ. (VHF) या यू.एच.एफ. (UHF) की प्रणाली पर कार्य करते हैं तथा थाने के क्षेत्र में संचार बनाए रखने के लिए हैन्ड हैल्ट रेडियो सेट दिए जाते हैं जो ड्यूटी तथा ऑपरेशन के दौरान बहुत उपयोगी होते हैं। अत: पुलिस थाने में कम से कम 5 वी.एच.एफ. (5 वोल्ट/10 वोल्ट/20 वोल्ट) तथा 24 हैन्ड हैल्ड रेडियो सेट अधिकृत करने की आवश्यकता है। बड़े थानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रेडियो सेट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

14. मोबाइल फोन:-

यह एक ऐसा संचार का माध्यम है जो हमेशा संचार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दूर-दराज के इलाकों में हो सकता है इसकी सुविधा न हो, लेकिन जहां रेडियो सेट कार्य नहीं करता, वहां पर यह बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। इस पर किसी भी सूचना की जानकारी मौके पर ही मिल जाती है यानि बीच में पड़ने वाले रेडियो स्टेशन की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पुलिस थानों में राज्य सरकारों की तरफ से प्रत्येक सिपाही को सरकारी मोबाइल फोन देने की कार्रवाई की गई है जो शायद एक अच्छा कदम है। वैसे तो सभी थाने के कर्मचारियों के पास अपने व्यक्तिगत मोबाइल फोन होते हैं लेकिन कुछ मोबाइल फोन एक थाने में अधिकृत किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के द्वारा कम से कम 15 मोबाइल फोन एक पुलिस स्टेशन में अधिकृत करना अति आवश्यक है।

15. मास्टर इविडेन्स कलेक्शन किट:-

जैसे कि हम सब जानते हैं कि थाने के इलाके में कोई भी अपराध या घटना घटती है तो तुरन्त ही अन्वेषण अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ अंगुली की छाप भी ली जाती है लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए उचित बन्दोबस्त नहीं होता है जिससे पुलिस कर्मचारी या अन्वेषण अधिकारी सही प्रकार से सबूत नहीं रख पाते हैं। आज सबूतों को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग साइजों के लिफाफे के तथा एफ.टी.ए. कार्ड और खून के नमूने, डी.एन.ए. के नमूने घटनास्थल से उठाकर सही तरह से रखने के लिए मास्ट इविडेन्स किट आती है जो अन्वेषण अधिकारी के कार्य में बहुत सहयोगी होती है, साथ ही सबूतों के अभाव में अपराधी भी छूटने में सफल नहीं होते। यानि पुलिस के कार्य की सराहना होगी। अत: एक इविडेन्स किट पुलिस के जरूरत के हिसाब से देना अति आवश्यक है।

16. अंगुली छाप किट:-

अंगुली छाप किट एक महत्वपूर्ण किट है जिसकी सहायता से अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल से अंगुली छाप किट से अंगुली की छाप लेते हैं। उन्हें फिर प्रिन्टर पर बने अपराधियों की अंगुली की छाप से मिलाए जाते हैं जिससे अपराधी का पता चल सके। यह कार्य कम्प्यूटर की सहायता से भी किया जा सकता है लेकिन एक अपराधी के अंगुली के छाप घटनाचक्र और अपराध का विवरण करते हैं जिससे कोर्ट से सख्त से सख्त सजा देने के लिए अंगुली की छाप की रिपोर्ट को पेश किया जाता है तथा अपराधी के अपराध को मजबूत बताते हुए कोर्ट से सख्त से सख्त सजा देने के लिए अंगुली की छाप की एक किट होना अति आवश्यक है।

17. फोटो वीडियोग्राफी किट:-

ये सही है कि पुलिस के कार्य प्रणाली पर समाज के लोग अंगुली उठाते रहते हैं। यानि ईमानदारी से किए गए कार्य को भी सही नहीं मानते। माननीय कोर्ट में घटनास्थल की फोटो तथा रिकार्ड की गई वीडियो रिकार्डिंग भी सबूत के तौर पर पेश की जाती है। आजकल तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का भी पुलिस के अन्वेषण में सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इस तकनीक से अपराधियों की पहचान और उपस्थिति निश्चित हो जाती है जिससे पुलिस ज्यादा से ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अन्वेषण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेती है। पहले सालों-साल तक अपराधियों का पता नहीं चलता था लेकिन सीसीटीवी होने के कारण जल्दी ही घटना के चक्र तथा अपराधियों का पता चल जाता है। इसके अलावा अन्वेषण के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब भी कैमरे में कैद कर लिया जाता है जिससे अपराधी बाद में अपने बयानों से मुकरने की कोशिश नहीं कर पाता। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी किट बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाकर पुलिस के कार्य को बल दिया जा सकता है। साथ ही खराब छवि को सुधारा जा सकता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम दो कैमरे और एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा अधिकृत करना आवश्यक है।

18. प्रथम उपचार किट:-

हमारे पुलिस स्टेशनों की स्थापना इलाके में कुल अपराधों की संख्या, कुल जनसंख्या तथा अपराधियों की गतिविधियों के आधार पर भी की जाती है। सरकार के आदेशों के अनुसार पुलिस कर्मचारियों को पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ता है तथा दूर-दराज के थानों में मेडिकल की सुविधा नहीं होती है। छोटी-छोटी बीमारी के लिए डॉक्टरों के पास भी जाना मुश्किल होता है। थाने में बंद या पकड़े गये संदिग्ध अपराधियों को भी मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता पड़ती है इसलिए यह आवश्यक है कि थाने में दो-तीन सिपाही अवश्य ही प्रथम उपचार किट के बारे में जानकारी रखते हों जिससे समय पड़ने पर प्राथमिक उपचार किया जा सके। अत: थाने में एक प्रथम उपचार किट आकस्मिक दवाओं के साथ होना अति आवश्यक है। जिसका समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।

19. लाइब्रेरी:-

हम सब जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है जिसका कोई समय या दिन भी निश्चित नहीं होता है। इस अनिश्चितता के कारण ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने में बाधा होती है। रात को इलाके में गश्त करना, अचानक कोई दुर्घटना या सड़क दुर्घटना होने पर घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचना आम बात है, इसलिए ज्यादातर पुलिस कर्मचारी सुबह न तो पी.टी. कर पाते है और न ही समय से खाना-पीना कर पाते हैं, लेकिन इसे पुलिस विभाग की मजबूरी या समाज की सुरक्षा के लिए बलिदान कह सकते हैं।

आज प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की हो रही है तथा दिन-प्रतिदिन नए-नए तकनीक का प्रयोग हो रहा है। अखबारों में प्रतिदिन अपराधों के बारे में जानकारी छपती है जिसको पढ़ने से अवश्य ही पुलिस कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। आज ऐसी बहुत सी

किताबें हैं जो पुलिस के विकास, समाज और पुलिस समन्वय, बदलती तकनीक और अपराधों के तरीके तथा जासूसी करने की जानकारी के ऊपर उपलब्ध हैं। शायद ही कुछ पुलिस थानों में लाइब्रेरी बनी हों। लेकिन पुलिस कर्मचारियों के विकास के लिए तथा पुलिस कार्य में कुशलता हासिल करने के लिए प्रत्येक थाने में एक लाइब्रेरी होना अति आवश्यक है। अतः प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक लाइब्रेरी अधिकृत करनी चाहिए।

प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ पुलिस की संख्या में भी बढ़ोत्तरी करना अति आवश्यक है। नये-नये हथियार और उपकरण प्रत्येक राज्य की पुलिस खरीद रही है, लेकिन समाज के व्यक्तियों को सुरक्षा और सही सेवा देने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ उचित मात्रा में पुलिस कर्मियों का होना आवश्यक है। पुलिस का विकास एक लगातार प्रक्रिया है जिसको समय-समय पर सुधार करने की पहल करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद, मीडिया कवरेज और सुरक्षा बलों की भूमिका

डा. दिनेश कुमार गुप्ता
सहायक प्रोफेसर, सुरक्षा विभाग,
शोधक, डी.वी.पी.जी. कालेज,
ओरई (जालौन)-285001 (उ.प्र.)

हाल के वर्षों में आतंकवाद एक गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के तौर पर उभरा है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा समय, संदर्भ और सामरिकी मांग के तहत सुविधानुसार अघोषित युद्ध के वैकल्पिक उपकरण के तौर पर उपयोग किया है और सतत जारी है। आतंकवाद के आयोजक, संयोजक एवं प्रायोजक राष्ट्रों की यह प्रतिबद्ध मंशा होती है कि लक्षित व्यापक समूह या देश पर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बनाये रखा जा सके ताकि सन्निहित संकीर्ण स्वार्थों को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जनता की भागीदारी और तरफदारी भी सुनिश्चित की जा सके एवं सरकारी मशीनरी को अस्थिर किया जा सके। और यह सब बिना मीडिया के सक्रिय योगदान के बिना असंभव है। सवाल उठता है कि मीडिया को ऐसे आतंकी परिवेश में खबर, तथ्य और घटनाओं के कवरेज में समायोजित प्रशिक्षित एवं उदार होना चाहिए।

'छापो और छिप जाओ' की अद्यतन 'गुरिल्ला पत्रिका' क्या आतंकवाद को समय विस्तार प्रदत्त कर रही है?

भारत में जब-जब साम्प्रदायिक उन्माद, आतंकवाद या आपदा आती है, तब-तब मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सत्यतथ्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना देने और पाने के अधिकार पर बहस छिड़ जाती है। प्रेस को कड़वे सच का उद्घाटन करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो कितना? क्या छापना-दिखाना चाहिए और क्या नहीं? जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हुआ है, तब से यह सवाल और भी जोर-शोर से उठने लगा है। यह सही है कि कोई भी समाज पूरा का पूरा सत्य स्वीकार नहीं करता। उसकी अपनी एक सीमा होती है। शायद इस सीमा से मीडिया भी वाकिफ है। धर्म संकट तब खड़ा होता है जब पत्रकार सरेआम ऐसे हादसे दिखाने लगते हैं, जिसके परिणाम की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसे हादसों को कैसे लिखें या दिखायें? प्रतिद्वंदिता में पिछड़ जाने का खतरा भी उनके सामने रहता है। ऐसी स्थिति में सत्य का क्रूर चेहरा उनके पन्ने या कैमरे में कैद हो जाता है।

भारत जैसे देश में जहां छपे हुए शब्दों के प्रति लोगों में पारंपरिक रूप से प्रबल आस्था रही है। सांप्रदायिक उन्माद, आतंकवाद, तनाव, दंगों और राष्ट्रीय एकता को परिपेक्ष्य में मीडिया की भूमिका और महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि लोग विश्वास करते हैं कि अखबारों में जो छपता है वह सच छपता है। अखबारों और पत्रिकाओं का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह सच्चाई को जरूर लोगों के सामने लाये परन्तु उस सच्चाई में ऐसी घटनाओं और बातों का समावेश न करें, जिससे जन विरोधी भावनायें भड़के और लोगों के मन में नफरत फैले। आतंकवाद के संदर्भ में प्रिन्ट मीडिया की भूमिका पूर्णत: निष्पक्ष और स्पष्ट नहीं रही। आज अक्सर इसे संदिग्ध ही माना गया है। यदि मीडिया ने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका

और ब्रिटेन की बातों को अधिक तवज्जो न दी होती जो शायद ऐसा न हो पाता। व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में पिछड़ जाने के खतरे को भांप कर बिना सोचे समझे कि यदि इसे अधिक महत्व देकर छापा जाता है, तो विश्व पटल और देश पर इसका क्या असर होगा।

दूसरी ओर कुछ देश भक्त व पत्रकारों ने जब घटनाओं की सत्यता की जांच कर, लोगों की मूलभूत समस्याओं और उनकी जरूरतों का समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए लिखा तो आतंकवादी उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादी, अलगाववादी ये नहीं चाहते हैं कि समस्या की वास्तविकता को उजागर किया जाए। इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया। इस गतिरोध के चलते अनेक पत्रकारों की हत्या की गयी। वास्तविक अर्थों में इन पत्रकारों और देश के समाज की मूल-भूत आवश्यकताओं को अखबारों ने कभी प्रकाशित करते हुए तवज्जो दी हो।

यह एक क्रूर विडम्बना है कि उदारता और आतंकवादी हिंसा एवं मानवीय विचारों के इस देश में आतंकवाद की ज्वाला को बार-बार धधकने का लम्बा इतिहास इस नई सदी में भी टूटता नहीं दिखता है। चाहे वह संसद पर आतंकवादियों का हमला हो या राम जन्मभूमि की घटना या दिल्ली का बम विस्फोट जैसी घटनाओं का घिनौना रूप। इसके साथ ही इन लपटों में मीडिया की प्रतिष्ठा को भी धू-धू कर जलने का सिलसिला भी अनवरत जारी है।

प्रिन्ट मीडिया को चाहिए कि वह समस्या के पहलुओं और आतंकवादी घटनाओं को सकारात्मक ढंग से जनता के सामने लाये जिससे उनकी मानसिकता और विचारधारा राष्ट्र की एकता और अखण्डता साथ ही राष्ट्र चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो सके। अखबारों में सुनी-सुनाई बातों को बढ़ा-चढ़ाकर छापने की आदत है। ऐसी चीजें मीडिया की भूमिका को नकारात्मक अर्थ प्रदान कर सकती हैं। अक्सर कुछ पत्रकार घटनास्थल पर देर से पहुंचते हैं और आनन-फानन में रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में सुनी-सुनाई बातों को आधार बना लेते हैं, जो अनुचित है। यह कदम प्रिन्ट मीडिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है।

यद्यपि लोगों का तौर-तरीका और चीजों को समझाने का ढंग अलग-अलग होता है, लेकिन इस पेशे में जिम्मेदारी का एहसास सर्वोपरि है। देश, समाज और व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। चूँकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए पत्रकार की जिम्मेदारी अहम है। पत्रकारिता की धार पैनी होनी चाहिए। उतना ही उसके भीतर जवाबदेही का एहसास भी होना चाहिए। आतंकवाद की समस्या भारत को एक चुनौती है इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।

दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी.वी., रेडियो) की बात आती है तो एक बात साफ हो जाती है कि सरकार चाहे जो कहे कैमरा सच बोलेगा भले ही इस दिशा में दूरदर्शन ने कुछ खास न दिखाया हो लेकिन प्राइवेट चैनलों ने अपने उत्तरदायित्व का पूर्णत: निर्वाह किया। घटनाओं और समस्या की सही तस्वीर जनता के सामने लाने के लिए ये आतंकवादी, समस्या और उसकी मूल जड़ को तलाशा और लोगों के सामने वास्तविक लाने का भरसक प्रयास किया। इस समस्या को जनता के बीच तक लाने का जो सराहनीय कार्य प्राइवेट चैनलों ने किया वह कार्य काबिले तारीफ है।

मीडिया में आतंकवाद का कवरेज विभिन्न प्रकार से किया जाता है:-

1. ऐतिहासिक कवरेज
2. तत्कालिक कवरेज
3. वैचारिक कवरेज
4. आतंकी प्रमुख के इन्टरव्यू

1. ऐतिहासिक कवरेज

जब कोई आतंकवादी संगठन किसी घटना का अन्जाम देता है तो मीडिया में उस आतंकवादी संगठन की चर्चा होने लगती है। प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस आतंकवादी संगठन का इतिहास अर्थात् उसके उद्‌भव, उद्‌भव के कारण, जब से वह संगठन बना है उसके द्वारा कौन-कौन सी और कब घटनाएं की गयी हैं, का तिथिवार ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाता है।

ऐतिहासिक कवरेज क्योंकि बहुत अधिक समय या प्रिन्ट मीडिया में जगह घेरता है, इसलिए अधिकतर किसी आतंकवादी संगठन का ऐतिहासिक कवरेज बार-बार नहीं किया जाता बल्कि ऐसा कवरेज या तो उस आतंकवादी संगठन द्वारा प्रसुप्तावस्था में रहने के बाद अचानक बहुत दिनों के बाद किया जाता है।

ऐतिहासिक कवरेज किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवाद का पूर्णरूप से अध्ययन करने में सहयोगी होता है।

2. तत्कालिक कवरेज

यह घटना के तुरन्त बाद किया जाने वाला कवरेज होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कवरेज करने में सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से आतंकवादी घटना स्थलों का लाइव कवरेज किया जाने लगा है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं।

ऐसे कवरेज के नकारात्मक प्रभाव ये हैं कि आतंकवादी संगठन और उसके संगठनों का मनोबल बढ़ता है और जनता का मनोबल घटता है या जनता में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि इससे जनता में आतंकवाद के विरुद्ध भावनायें पनपती हैं जिससे सरकार को आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने का नैतिक संबल प्राप्त हो जाता है।

3. वैचारिक कवरेज

यह कवरेज एक सशक्त माध्यम है, प्रिन्ट मीडिया में पाठकों के विचार मंच, सम्पादकीय आदि वैचारिक मंच प्रदान करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर टी.वी. पर आतंकवाद पर बुद्धिजीवियों द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव टेलीकास्ट और दर्शकों द्वारा ऐसे टेलीकास्ट में बुद्धिजीवियों से प्रश्न पूछे जाने से वैचारिक मंच बहुत विस्तृत हो जाता है जिससे आतंकवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर बहस होती है, जिससे जनता के आतंकवाद के बारे में जागरूकता बढ़ती है।

4. आतंकी प्रमुख के साक्षात्कार

कभी-कभी आतंकी संगठन अपने वीडियोटेप जारी करते हैं तथा कभी-कभी आतंकवादी संगठनों के प्रमुख पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते हैं। जैसे विश्व विख्यात पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट के सह-सम्पादक ने

अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का इन्टरव्यू लिया तथा उनके साथ तीन दिन बिताये, इससे किसी आतंकवादी संगठन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उनके उद्देश्य, उनके संगठन, उनकी कार्यशैली तथा उनके सम्भावित इलाकों की जानकारी मिलती है।

भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी कोने में अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका कवरेज इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्टमीडिया द्वारा किया जाता है। प्रिन्टमीडिया में अखबारों में ज्यादा कवरेज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम समय में कवरेज किया जाता है। मीडिया कवरेज से आतंकवादी घटनाओं को परिणाम तक पहुँचाने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायुयान अपहरण के मामले में बहुत अधिक मीडिया कवरेज कभी-कभी बंधकों की सुरक्षा करती है, क्योंकि इससे बन्धकों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दया की भावना जागती है, जिससे आतंकवादियों के लिए बन्धक बनाये जाने की परिस्थितियों को लम्बा खिंचाव लेती है। क्योंकि जब तक आतंकवादियों को मीडिया का कवरेज मिलता रहता है उनका प्रचार होता रहता है।

जब एक आतंकवादी हमले का टी.वी. पर कवरेज किया जाता है, तो जनता में ये भावना जागती है कि सरकार आतंकवादी घटना पर क्या कार्रवाई कर रही है। साथ ही सरकार पर ऐसी परिस्थितियों को जल्द से जल्द सुलझा लेने का दबाव पड़ता है। कभी-कभी पूरी तैयारी के बिना कार्य किया जाता है जिससे घातक परिणाम भी निकल सकते हैं।

मीडिया कवरेज से कभी-कभी आतंक विरोधी कार्यों में रुकावट आती है। क्योंकि अपहरणकर्ताओं को मीडिया के जरिये से यह जानकारी मिलती है कि सरकार उनके कृत्य के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, जो कि उनके बच निकलने में सहायक भी हो सकती है किन्तु कभी-कभी इससे आतंकवादियों को पकड़ने में भी सहयोग मिलता है।

सवाल यह उठता है कि क्या आतंकवादी भी प्रचार में विश्वास रखते हैं और वह भी मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात जनता और सरकार तक पहुंचाते हैं? जैसे 1974 में ब्रायन जैनकिन्स ने कहा था कि आतंकवाद एक थियेटर है और आतंकवादी स्वयं भी इसी तरह सोचते हैं। नरोदया ओल्या (जनता की इच्छा) जो 19वीं सदी में से रशियन अराजकतावादी गुट था, ने 1985 में TWA847 वायुयान को हाइजेक करके बेरूत हवाई अड्डे पर एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी, जिसे उन्होंने प्रोपेगन्डा बाई डीड अर्थात् प्रचार व्यवस्था के लिए डीड बताया था। तब से आतंकवादी अपने हमलों हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका संदेश दूर तक जाये। विशेषज्ञों की राय है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा पेंटागन पर हमला इस उद्देश्य से किया गया था कि करोड़ों टी.वी. दर्शक अमेरिका की कमजोरी को देखें तथा अधिक से अधिक अलकायदा तथा उसके इस्लामिक एजेन्डे को देखें, समझें।

फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब आतंकवाद की प्रवृत्ति बदल रही है। आतंकवादी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग देखें न कि मरें। लेकिन अब धार्मिक आतंकवादी गुटों के उभरने से तथा उनकी बहुत ही खूंखार छवि एवं विशाल सामूहिक हिंसा के हथियारों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि अब आतंकवादी गुटों का मकसद जनहानि तथा सामूहिक हत्याओं द्वारा प्रचार पाना अब उनकी प्राथमिकता हो गई है।

आतंकवाद क्या मीडिया का प्रयोग कर रहा है? अलकायदा द्वारा अल जजीरा चैनल का प्रयोग इसका ज्वलन्त उदाहरण है क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं कि आम जनता तथा सरकारों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो और इसके लिए उन्हें मीडिया ये सुविधा उपलब्ध कराती है। विशेषज्ञों की राय है कि आतंकवाद एक सोची समझी हिंसा होती है जो किसी प्रतिकरात्मक लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि इस हिंसात्मक कार्रवाई से धार्मिक या राजनैतिक संदेश दिया जाय। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों का लक्ष्य जनसाधारण की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ना, आतंकी हिंसा से जूझ रहे देश को उकसाना, नये रंगरूटों को अपनी ओर आकर्षित करना, जनता की राय का ध्रुवीकरण, अपनी हिंसात्मक शक्तियों तथा क्षमता को दिखाना भी या सरकारों का निम्न दिखाना उनका उद्देश्य होता है।

आतंकवादी मीडिया को आकर्षित करने के लिये भी आतंकी कार्रवाई करते हैं। 1995 के ओकला हामा सिटी बस काण्ड, जिसमें 168 लोग मारे गये थे, का अभियुक्त तिमोथी मैक विध का कहना है कि उसने ओकला हामा की मर्राह फेडरल बिल्डिंग को लक्ष्य के रूप में इसलिए चुना था कि इसके चारों ओर बहुत सारी खुली जगह थी। जिससे उस बिल्डिंग की बहुत अच्छी वीडियो तथा फोटो ली जा सकती थी। इसी प्रकार इटली का वामपंथी रेड ब्रिगेड अधिकतर अपने हमले शनिवार को किया करती थी, जिससे इसी अगले दिन अर्थात् रविवार को यह मुख्य समाचार बने क्योंकि रविवार को अधिक समाचार पत्र बिकते हैं। इसी प्रकार फिलिस्तीनी गुट (ब्लैक सितम्बर) ने 1972 में म्यूनिख ओलम्पिक के दौरान इजरायली एथलीटों को बन्धक बना लिया था। क्योंकि उस समय पूरे विश्व में टी.वी. लोग देख रहे थे और पूरे विश्व की मीडिया वहां इकट्ठा थी। जिससे उनके इस कार्य को पूरे विश्व में प्रचार मिला। आतंकवादी गुट बहुत ही सावधानीपूर्वक मीडिया का अध्ययन करते हैं और कुछ गुट तो स्वयं अपने ही मीडिया आपरेशन चलाते हैं। उदाहरण के लिए कोलम्बिया वामपंथियों का अपना रेडियो प्रसारण केन्द्र हैं, इसी प्रकार बहुत से आतंकवादी गुट की अपनी साइट है।

सवाल यह उठता है कि क्या मीडिया आतंकवादियों का फायदा पहुंचाती है? विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी आतंकवादी के लिए कोई भी प्रचार फायदेमन्द है, भले ही कोई हत्यारा कामयाब न हो, कोई बम न फटे किन्तु ऐसे हमलों से आतंकवादियों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आतंकवाद जो कि आनुपातिक रूप से अधिक मीडिया कवरेज पाता है, इसी कारण राजनैतिक मुद्दे हो सकते हैं। इसी प्रकार वे बेकार के मुद्दे को मुख्य राजनैतिक मुद्दा बना देते हैं। जैसे कि 1970-80 के दशक में हमलों ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया।

आतंकवादी, आतंकवाद और उसके दृष्टिकोण तथा सरकारी नीतियों को बहस का मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं तथा इसके लिए वे जनता में वाद-विवाद को बढ़ावा देने के लिए भी आतंकी हमले करते हैं।

वहीं अन्य विशेषज्ञों की राय इस बात पर संशय व्यक्त करती है कि मीडिया कवरेज से आतंकवादियों को सहायता मिलती है। उनके अनुसार आतंकवादी हमलों के बाद परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं जिससे उल्टे परिणाम निकलते हैं। बहुत ज्यादा जनसंहार से

आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाले तथा उनको सपोर्ट करने वाले अपने को उससे अलग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आतंकवादी हमले करते हैं तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि उनके इस हमले का जनता में सकारात्मक या नकारात्मक संदेश जायेगा। अत: किसी आतंकवादी गुट पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा होता है, इसलिए जनता की नजर में उनके द्वारा किये गये कार्य अवैधानिक होते हैं। क्योंकि वे ऐसा करके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?

मीडिया आतंकवादी हमले कवरेज क्यों करती हैं? पत्रकारों के अनुसार आतंकवादी हमला भी एक समाचार ही है। आतंकवादियों (जो कि ध्यानाकर्षण चाहते हैं) तथा समाचार संस्थाओं (जो कि नाटकीय कहानियां गढ़ते हैं जिससे उनकी पाठक संख्या अथवा रेटिंग बढ़े) के बीच सह-सम्बन्ध पाया जाता है। मीडिया हाउस ये जानते हुए भी कि आतंकवादी संगठन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वे मुख्य आतंकवादी घटनाओं को प्रसारित करती है किन्तु वे आतंकवाद के लिए प्लेटफार्म नहीं बनना चाहती है। आलोचकों का मानना है कि लाइव टीवी समाचार आतंकवाद के थियेटर में आतंकवाद के मुख्य सहयोगी हैं।

मीडिया कवरेज से कभी-कभी आतंकवाद विरोधी कार्यों में रुकावट आती है क्योंकि अपहरणकर्ताओं को मीडिया के जरिये ये जानकारी मिलती है कि सरकार उनके कृत्य के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैं। जो कि उनके बच निकलने में सहायक भी हो सकती है किन्तु कभी-कभी इससे आतंकवादियों का पकड़ने में भी सहयोग मिलता है। जैसे कि अमेरिका के एक समाचार पत्र ने जब एक व्यक्ति का एक राजनैतिक आधुनिकता विरोधी मैनोफेस्टो प्रकाशित किया तो इसने उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया, यह वह व्यक्ति था जो लगातार पिछले 17 साल से बम धमाके करता था और एफ.बी.आई. उसको पकड़ नहीं पा रही थी।

इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आतंकी वारदातों के सन्दर्भ में मीडिया की सिर्फ नकारात्मक भूमिका है। हां यह जरूर है वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण के इस दौर में मीडिया का व्यावसायीकरण हुआ है। मिशन पत्रकारिता का तब्दीलीकरण 'प्रोफेशनलिज्म' के रूप में हमारे समक्ष है। लेकिन प्रत्येक पेशे के कुछ नियम-कानून होते हैं, जिन्हें 'पेशेवर नैतिकता' की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें व्यापक क्षरण हुआ है। समसामयिक संदर्भ में मीडिया इससे इतर नहीं रही। जरूरत इस बात की है कि बेहतर व्यावसायिक समायोजन, पेशागत नैतिकता, सक्षम प्रशिक्षण और विशेषज्ञ परामर्श के बलबूते राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हितों को प्रभावित करने वाली घटनाओं को सुलझे हुए मापदण्ड पर रिर्पोटिंग एवं कवरेज किया जाना चाहिए।

सुझाव

1. मीडिया ने आतंकवादी घटना एवं विश्व की किसी भी घटना को जनता तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई है। प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अत्यधिक प्रगति होने से वे किसी भी घटना को जनता के बीच पहुंचाने में लगे रहते हैं। मीडिया के साथ-साथ देश की सरकार को आतंकवादी घटना को रोकने के लिए जागरूक होने चाहिए और

अगर सरकार जागरूक होती है तो देश में आतंकवाद का विनाश होने में समय नहीं लगेगा और उसके साथ ही मीडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों के बीच भय और दहशत का माहौल खत्म हो जायेगा।

2. वर्तमान आधुनिक युग में संचार माध्यमों का बहुतायत से उपयोग होने लगा है जिसमें टी.वी. कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, सैटेलाइट चैनलों और रेडियो के साथ अखबारों तथा पत्रिकाओं की भूमिका मुख्य है। दृश्य-श्रव्य संचार माध्यमों को ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिये जो जनता के मनोरंजन के साथ-साथ उनकी समस्याओं का समुचित ढंग से निराकरण कर सके।

3. मीडिया को चाहिए कि समस्याओं को प्रचारित करने के साथ-साथ उनके उत्पन्न होने के कारणों को और अधिक प्रभावी ढंग से दिखाये तो संपूर्ण देश की जनता उसे दूर करने का प्रयास करेगी। सुलझे हुए आतंकवादी घटना से सम्बन्धित कार्यक्रम का प्रसारण कर देश की जनता को जागरूक बनाया जा सकता है।

4. मीडिया का कर्तव्य बनता है कि वह सूचना और घटना को मसालेदार बनाने की अपेक्षा उसकी वास्तविक स्थिति को जनता के सामने प्रस्तुत करे। विचारों को फैलाने और जनमत बनाने में मीडिया की भूमिका अहम रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समस्या से सम्बन्धित सरकार की नीतियों की समीक्षा कर जनता को प्रभावित करने और विभिन्न दलों के विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें अवगत कराते रहना चाहिये।

5. इस बात की जरूरत है कि समस्या समाधान हेतु मीडिया भविष्य में प्रभावी कदम उठाये और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी इस समस्या से अवगत कराये।

6. मीडिया को नकारात्मक पहलू की अपेक्षा समस्या के सकारात्मक पक्ष को अधिक सशक्त ढंग से जनता के सामने लाना चाहिए।

7. मीडिया और सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन संस्थानों को चाहिए कि संयुक्त रूप से संघर्ष एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं की रिपोर्टिंग एवं कवरेज हेतु उपयुक्त मानव संसाधन का निर्माण सुनिश्चित करें।

8. वार कवरेज हेतु समय, संदर्भ एवं सामरिकी के अनुसार अल्पकालीन रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का सृजन कर मीडियाकर्मियों को सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाय ताकि कवरेज के समय सत्य, तथ्यपरक खबरों से समझौता की स्थिति न उत्पन्न हो सके।

9. मीडिया अध्ययन संस्थानों एवं रक्षा अध्ययन संस्थानों को संयुक्त रूप से चाहिए कि स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में 'डिफेन्स जर्नलिज्म' मुख्य प्रश्न पत्र या वैकल्पिक प्रश्नपत्र के तौर पर अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय ताकि राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कवरेज हेतु संवेदनशील वातावरण, बेहतर कास्टिंग (प्रिन्ट कास्टिंग, टी.वी. कास्टिंग, रेडियो कास्टिंग, वेब कास्टिंग) एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

10. मीडिया को चाहिए कि अमुक घटना का जन साधारण पर क्या प्रभाव पड़ा और उनकी क्या

प्रतिक्रिया रही, यह जाने। क्षेत्रीय कार्यक्रमों की समय सीमा बढ़ानी चाहिए और कई भागों में विभाजित करके अलग-अलग समय में प्रसारित करना चाहिए। जो प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रसारित हो, जैसे आर्थिक परिचर्चा, सामरिक परिचर्चा, राजनैतिक परिचर्चा के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिचर्चा। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मीडिया राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसकी पहुंच गांव-गांव तक है। संचार माध्यमों ने इसे और भी आसान बना दिया जिसके फलस्वरूप जनता अब काफी जागरूक हो चुकी है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के समय सुरक्षा बलों की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह उठने शुरू हो जाते हैं। तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप के पश्चात् मानवाधिकारों का तर्क, तत्व व तथ्य पर विचार-विमर्श व विकल्प के स्थानीय से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय फलक प्राप्तिकरण में देर नहीं लगती है। राय बनाने व खपाने का मंच कुछ खास प्रयास में ही बन जाते हैं। बन जाना भी चाहिये। आखिर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रयोग, संयोग व उपयोग स्वाभाविक हैं। सवाल है, क्या आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की व्यक्तिगत लड़ाई है? सच तो यह है हर आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में सुरक्षा बलों के सदस्य आम व्यक्ति के तरफ से लड़ता है, समाज की तरफ से लड़ता है, राष्ट्र की तरफ से लड़ता है और यह कार्रवाई भी उसी के साथ जो व्यक्तिविरोधी है, समाजविरोधी व राष्ट्रविरोधी है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सम्प्रभुता को चोट पहुंचाने वाले तत्वों से सुरक्षा बलों के हर सदस्य को आखिर अधिकार तो होना ही चाहिए। ऐसे राष्ट्रद्रोही, समाजविद्रोही व व्यक्तिविरोधी तत्वों से निपटने के वक्त मानवाधिकार की बात समझ से परे होती है। मानवाधिकार तो वहीं होने चाहिए जो मानव होने के नाते मानव के मूलभूत अधिकारों, गरिमा व महिमा को अक्षुण्य रख सकें। समय, संदर्भ व सामरिकी के चलते सुरक्षा बलों से यदि कहीं कोई चूक हो भी जाये तो नजरअंदाज कर ही देना चाहिए। आस्था व व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले पंचमार्गीय तत्वों (फिफ्थ कॉलमनिस्ट) पर कड़ी कार्रवाई स्वाभाविक है। प्रश्न राष्ट्र की वाह्य सुरक्षा का हो या आन्तरिक सुरक्षा का, सारगर्भित कदम उठाना वक्त की जरूरत है।

भूमिकापरक सुझाव

1. सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी किसी भी मुहिम में मानवाधिकार के सिद्धान्तों को तवज्जो न देकर सामरिकी व रणनीतिक बढ़त पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।
2. केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न गुप्तचर संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय व सहयोग होना चाहिए।
3. विभिन्न विदेशी खुफिया एजेन्सी मसलन आई. एस.आई. की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
4. गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय के मध्य 'त्वरित क्रियाशील सूचना-संसाधन समन्वय तंत्र' होना चाहिये।
5. विभिन्न राज्यों की पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, पुनर्गठन एवं अत्याधुनिक सैन्यसाज सामानों से लैस कर देना चाहिये।

6. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ब्रिगेड हर राज्य में होनी चाहिये जो फौरी तौर पर एक्शन ले सके।

7. देश के प्रत्येक जिलों से लेकर इण्टरपोल तक 'त्वरित सूचना-संसाधन-सहायता' जैसे तंत्र का सहयोग व समन्वय होना चाहिए, ताकि फौरी एक्शन लिया जा सके।

8. स्लीपिंग मॉडयूल्स, होमग्रोन तत्वों व देशी मददगारों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये।

9. गृह मंत्रालय के स्तर पर 'सेन्ट्रल डेटा बैंक' की व्यवस्था होनी चाहिये जो क्रियाशील दस्तों को सामरिक व रणनीतिक बढ़त दे सके।

10. नौसेना तथा कोस्टगार्ड के मध्य समन्वय व सहयोग होना चाहिये।

11. ऐसा तन्त्र विकसित हो जिसमें राज्य पुलिस बल के मुखिया, पैरा मिलिट्री फोर्सेज व मिलिट्री फोर्सेज तत्काल सूचनाओं, संसाधनों व सहायताओं का आपात स्थिति में समन्वय कर सकें।

12. राज्य गुप्तचर संस्थाओं, केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाओं, मिलिट्री व पैरा मिलिट्री गुप्तचर संस्थाओं के मध्य त्वरित सामन्जस्य व सहयोग होना चाहिये। ताकि गंभीर सूचनाओं का आदान-प्रदान फौरी तौर पर किया जा सके।

13. ऐसा तन्त्र विकसित हो जिसमें किसी भी तरह की मीडिया ब्रीफिंग केन्द्रीय स्तर पर हो। अन्य संस्थाओं के मीडिया ब्रीफिंग पर तत्काल प्रतिबन्ध होना चाहिये। ताकि सभी मीडिया हाउसेज एक ही समाचार बना सके। सुरक्षाबलों द्वारा मीडिया ऐसी हो जो सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्र की एकता, अखण्डता व सम्प्रभुता को चोट न पहुंचा सकें व तत्कालिक तौर पर दुश्मन को हमारी विभिन्न सामरिकी व रणनीतिक चाल/बढ़त का अंदाजा न लगा सके।

14. नित नये विकसित होते तकनीक, रणनीति, सामरिकी, विशिष्टीकृत व्यावसायिक अनुभव व सैन्यसाज सामानों को सुरक्षा बलों को मुहैया कराया जाना चाहिये। ताकि मानव संसाधन विकास व ढांचागत स्तर पर सुरक्षा बल कमतर न रहें। सैन्य विचारक सुन्तजू का यह कथन 'यदि युद्ध में विजय हासिल करनी है तो दुश्मन की खूबियों एवं खामियों का जानना अहम है।' हमारी कोई भी सामरिकी व रणनीति साधारणतया उक्त कथन के समीप होती है। सुरक्षा संस्थानों को चाहिये सुरक्षा बल के हर सदस्य हर तरह के संसाधन से लैस रहें।

15. सभी तरह के सुरक्षा बलों में 'पेशेवर उत्कृष्टता' बनी रहे; जरूरी है नियमबद्ध, कार्यक्रमबद्ध व समयबद्ध तरीके से व्यवहार सुधार/परिवर्तन, पेशेवर विधि की बारीक जानकारी, खोजबीन की नयी प्रौद्योगिकी, नये विकसित होते सामरिक सिद्धांत व रणनीतिक चालों का 'केस स्टडीज' आधारित व्यावहारिक शिक्षण, विभिन्न असामान्य परिस्थितियों में हथियारों का संचालन व मनोवैज्ञानिक मजबूती हेतु इत्यादि क्षेत्रों पर समाधानपरक, संचालनपरक व सुरक्षा उत्कृष्टतापरक सैद्धान्तिक, व्यावहारिक व परिस्थिति विशेष आधारित शिक्षण प्रशिक्षण की मौजूदा दौर की सच्चाई व सख्त जरूरत है।

स्मार्ट शहर की स्मार्ट पुलिस

डा. जोरावर सिंह राणावत
37, कुम्भा नगर, हिरन मगरी, सेक्टर नं. - 4
उदयपुर (राजस्थान)

भारत में वर्तमान में लगभग 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है तथा यह जनसंख्या देश के सकल घरेलू उत्पाद का 63% है। वर्तमान में भारत की जनता की शहरों की तरफ पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और एक अनुमान के अनुसार 25 से 30 व्यक्ति प्रति मिनट भारत के बड़े शहरों की ओर बेहतर आजीविका व बेहतर जीवन स्तर के लिए पलायन कर रहे हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए **स्मार्ट शहर** की अवधारणा को अपनाया गया है। **भारत सरकार की स्मार्ट शहर योजना 2014** के अनुसार- ''स्मार्ट शहर वह है जो इसके निवासियों को उनके शिक्षा, कौशल व आय की परवाह किये बिना, संपोषणीय आर्थिक विकास व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है।''[1] बार्सिलोना (स्पेन), न्यूयॉर्क, सांता क्रुज, साउथ हेम्पटन (अमेरिका), लंदन, मेनचेस्टर, मिल्टन केन्स (इंग्लैण्ड), एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) व स्टोकहोम (स्वीडन) आदि स्मार्ट शहर के उदाहरण हैं। ''वर्ल्डस् स्मार्ट सिटी अवार्ड'' का 2014 का विजेता इजरायल का तेल-अविव शहर, वर्ष 2015 का पीटरबर्ग व वर्ष 2016 का न्यूयॉर्क रहा है।

भारत में शहरी विकास मंत्रालय के अन्तर्गत वर्ष 2015 में पूणे से स्मार्ट सिटी अभियान प्रारम्भ किया गया है जिसमें पुनर्नवीनीकरण एवं पुनर्संयोजन द्वारा भारत सरकार 100 शहरों (अब 109) को नागरिक हितैषी व विकसित शहर बना रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार इन शहरों को बड़े शहरों के सेटेलाइट कस्बों के रूप में विकसित एवं आधुनिकीकृत किया जायेगा तथा इस हेतु 98 हजार करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। स्मार्ट शहरों की प्रथम सूची में 20 शहरों को शामिल किया गया है। दूसरी सूची में 13 शहर शामिल किये गये हैं तथा तीसरी सूची में 27 शहरों को शामिल किया गया है। स्मार्ट शहरों के निर्माण में वहां का प्रशासन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि उनकी सहायता व उनके सुधार के बिना किसी स्मार्ट शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूंकि पुलिस प्रशासन भी प्रशासनिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है अत: शहरों को स्मार्ट बनाने के साथ पुलिस को भी स्मार्ट बनाना अति आवश्यक है।

स्मार्ट पुलिस अवधारणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुवाहाटी में 30 नवम्बर 2014 को आयोजित पुलिस महानिदेशकों व पुलिस महानिरीक्षकों की **49वीं वार्षिक कॉन्फ्रेन्स** को सम्बोधित करते हुए भारतीय पुलिस के लिए **स्मार्ट पुलिस (SMART POLICE)** की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें S सख्त फिर भी संवेदनशील (strict yet sensitive) के लिए, M आधुनिक व गतिशील (modern and mobile) के लिए, A सतर्क व उत्तरदायी (alert and accountable) के लिए, R भरोसेमंद व प्रतिक्रियाशील (reliable and responsive) के लिए एवं T तकनीकीविद् व प्रशिक्षित (techno-savvy and trained) के लिए प्रयोग किया है।

स्मार्ट पुलिस की ओर कदम बढ़ाते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी 2015 से **स्मार्ट पुलिस स्टेशन** योजना प्रारम्भ की है जिसमें पुलिस स्टेशनों के

विकास के लिए अलग से वित्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्मार्ट पुलिस का लक्ष्य पुलिस एजेन्सी को प्रयोगकारी एवं नवाचारों वाली संस्था के रूप में पहचान दिलाना व इन्हें प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। स्मार्ट पुलिस का उद्देश्य सक्रिय सेवाएं प्रदान करना व कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन करना है। स्मार्ट पुलिस के सामने नवाचारों को लागू करना, विश्लेषणों के परिणामों को एकत्रित करना, तकनीकी का प्रभावशाली उपयोग करना, मूल्य-प्रभावशीलता को बनाये रखना व नवाचारों को प्रोत्साहित करना आदि चुनौतियां हैं।''[2]

स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्मार्ट पुलिस के विकास के आधार का कार्य करेगा। इसके लिए निजी क्षेत्रों व उनके संगठित सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जाना है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन नागरिक हितैषी व स्वच्छ होंगे व ये वहां कार्यरत पुलिस कार्मिकों की कार्यात्मक व कल्याणकारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इसके अलावा निम्न सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं-[3]

- आगन्तुकों के लिए मूलभूत सुविधाएं, जैसे-प्रतीक्षाकक्ष, शौचालय, पेयजल, स्वागती जो आगन्तुक की सहायता करे।
- कार्मिकों के लिए विश्राम कक्ष व महिला कार्मिकों के लिए अलग विश्राम कक्ष।
- प्राकृतिक रोशनी व सवातन, सौर ऊर्जा उपकरण।
- कैमरों से निगरानी, सुरक्षित शस्त्रागार, लेखा व आंकड़ा कक्ष, वायरलैस के लिए संचार कक्ष, कम्प्यूटर आदि।
- स्वचलित शिकायत पंजीकरण तंत्र जिसमें आगे की कार्रवाई का विकल्प हो।

स्मार्ट पुलिस के लिए सुझाव

1. सुज्जित व समस्यामुक्त पुलिस

सर्वप्रथम जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर पुलिस बल का आवश्यक उचित अनुपात निकाला जाये तथा उसी अनुपात में पुलिसकर्मी भर्ती किये जायें ताकि कार्मिकों का अनावश्यक कार्यभार ना पड़े व वे अपना कार्य अच्छे से कर पायें। कार्मिकों की उचित संख्या उपलब्ध होने पर कार्यों का वर्गीकरण व विशेषीकरण भी किया जा सकता है जिससे कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पुलिस थानों में कम से कम दो वाहन चालक उपलब्ध होने चाहिए ताकि एकान्तर रूप से सेवा दे सकें व कार्य भी प्रभावित ना हो। कार्मिकों की उपलब्धता होने पर कार्यों में तीव्रता आयेगी तथा उन्हें समय पर निपटाया जा सकेगा। साथ ही पुलिस समय पर प्रतिक्रिया दे पायेगी जो अपराधों को रोकथाम में सहायक होगा तथा इससे पुलिस के कार्यभार में कमी आयेगी इससे पुलिस की छवि में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुलिस विभाग में महिला कार्मिकों की उपलब्धता भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता से महिलाओं के साथ हिरासत में होने वाले अपराधों को रोका जा सके साथ ही महिला कार्मिकों की उपलब्धता से कार्यालयी कार्यों में पुरुष कार्मिकों को सहायता मिलेगी तथा वे अन्य कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पायेंगे।

पुलिस थानों में मानकों के अनुसार भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, आराम स्थल, खेल का मैदान आदि उपलब्ध करवाये जाने चाहिए तथा

अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा पुलिस की सुविधाओं व संसाधनों का समय-समय पर नवीनीकरण होना चाहिए। साथ ही इन सब के लिए सरकार को पुलिस विभाग को पर्याप्त बजट भी देना चाहिए। पुलिस थानों में कार्मिकों को आराम के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पायेंगे। निष्कर्षत: यह कह सकते हैं कि सर्वसुविधाओं युक्त मॉडर्न पुलिस थानों के निर्माण एवं विकास की आवश्यकता है।

पुलिस थानों में अत्याधुनिक वाहनों की आवश्यकता है जिससे अपराधियों का पीछा किया जा सके तथा उन्हें पकड़ा जा सके। साथ ही थानों में एक से अधिक वाहन होने चाहिए ताकि एक वाहन के कहीं व्यस्त होने पर कोई घटना होने पर दूसरा वाहन पहुंच सके। वाहनों की उपलब्धता कार्मिकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। साथ ही वाहनों के लिए मासिक पेट्रोल की मात्रा को उचित स्तर तक बढ़ाना चाहिए ताकि थानाधिकारी को भ्रष्ट माध्यमों से इसके लिए सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े। थानों में बीट कांस्टेबलों की संख्या के अनुपात में मोटरसाईकिल उपलब्ध होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरह राज्य पुलिस के सभी कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर व वाहन चालन में दक्षता अनिवार्य होनी चाहिए।

प्रत्येक कार्मिक के पास वायरलैस उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह प्रत्येक परिस्थिति में सम्पर्क में रहें। प्रत्येक थाने में जीपीएस व इंटरसेप्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर, बम निस्तांरण के साधन, अन्वेषण व अंगुली छाप के लिए किट, दूरबीन, कैमरा, टेप रिकार्डर, परीक्षण किट, ब्रीथ एनालाइजर, खोज व पेकिंग किट, सुरक्षा कवच आदि भी आधुनिक व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए।

2. आधुनिक पुलिस

स्मार्ट पुलिस को प्रत्येक क्षेत्र में स्मार्ट होना आवश्यक है। अत: प्रत्येक पुलिसकर्मी को टेबलेट जैसे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए तथा सभी तरह की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह अपराधों व अपराधियों से मुकाबला कर सके। समस्त पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक प्रक्रिया ऑनलाइन हो और पारदर्शिता बढ़े। प्रत्येक याचिकाकर्ता को उसकी याचिका के साथ एक याचिका संख्या उपलब्ध करवायी जाये ताकि वो कभी भी अपनी याचिका की स्थिति, उस पर हो रही कार्रवाई एवं संभावित कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सके। राजकॉप जैसे एप प्रत्येक कार्मिक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वह आपराधिक तत्वों के बारे में कभी भी सूचना प्राप्त कर सके। इसके साथ ही कार्मिकों के लिए इनके प्रयोग के लिए दिशानिर्देश तय किये जाने चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। प्रत्येक कार्मिक के पास वायरलैस होना चाहिए तथा प्रत्येक कार्मिक व पुलिस वाहन GPS तंत्र से जुड़े होने चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन तक तुरन्त पहुंचा जा सके। पुलिसकर्मियों की उपस्थिति Biometric पद्धति से होनी चाहिए तथा शस्त्रागार को भी इसी पद्धति से सुरक्षित किया जाना चाहिए। पुलिस कार्मिकों को तकनीकी कुशल बनाया जाना चाहिए। पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया व नवीन तकनीकी के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ कदम

मिला कर चल सकने के लिए कार्मिकों को तैयार करना चाहिए।

पुलिस विभाग के सभी आंकड़ों व रिकॉर्ड व समस्त प्रकार के अपराध व अपराधियों की सूचनाएं नेशनल पोर्टल **पोलनेट (POLNET)** पर दर्ज होनी चाहिए एवं इसे आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए ताकि देश के किसी भी अपराधियों की पहचान व उन्हें पकड़ने में आसानी हो। साथ ही तमाम जब्त व अज्ञात प्राप्त वाहनों के वाहन व चेचिस नम्बर को भी इस पर डालना चाहिए जिससे गुमशुदा व चोरी के वाहन प्राप्त करने में आसानी हो। प्रत्येक थाने में मोबाइल कॉल विवरण निकालने व लोकेशन ट्रेस करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए।

3. शहर की सुरक्षा व यातायात का आधुनिकीकरण

स्मार्ट शहर की सुरक्षा व यातायात प्रबंधन भी आधुनिक तरीकों से किया जाना चाहिए। शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे लगाये जाने चाहिये ताकि कार्मिकों का कार्यभार भी कम हो और 24 घण्टे कड़ी निगरानी रखी जा सके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सके और उनका ई-चालान बनना चाहिए जो सीधे उनके निवास स्थान पहुंचे व एक सप्ताह के भीतर उसका भुगतान आवश्यक हो। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।

4. पर्यटन पुलिस

चूंकि अधिकांश स्मार्ट शहर पर्यटन स्थल हैं और पर्यटक वहां की आय का एक बड़ा जरिया है अत: इनकी संतुष्टि इसको बढ़ा सकती है और विश्व में शहर की अच्छी छवि बना सकती है अत: पुलिस को पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए व उनसे कैसे पेश आना चाहिए इसके लिए उन्हें किसी पर्यटन प्रबंधन संस्थान से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंग्रेजी भाषा का औसत ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए व अन्य भाषाओं के जानकारों की भी पुलिस में भर्ती की जानी चाहिए जो पर्यटकों की सहायता के साथ-साथ किसी अपराध की पूछताछ में भी सहयोग कर सकें। इसके साथ ही पर्यटकों की सहायता के लिए पर्यटक स्थलों पर सहायता डेस्क स्थापित किया जाना चाहिए। पर्यटकों की सहायता के लिए एक विशेष फोन नम्बर या विशेष एप उपलब्ध करवाया जाये जिस पर वह कभी भी व कहीं भी सहायता के लिए सम्पर्क कर सकें।

5. संतुष्ट पुलिसिंग

पुलिस एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक आम व खास से किसी न किसी प्रकार सम्पर्क में रहती है अत: किसी भी नागरिक को किसी पुलिसकर्मी से कोई भी शिकायत है तो उसके लिए थानों में शिकायत पेटी के अलावा ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान भी होना चाहिए तथा दोनों ही परिस्थितियों में उसका पंजीकरण व फालोअप लेना अनिवार्य होना चाहिए। एक ऐसा मोबाइल एप बनाया जाना चाहिए जिससे कि पुलिस द्वारा किये गये किसी भी अविधिक कार्य या अनैतिक व्यवहार के विरुद्ध कहीं भी प्रतिक्रिया या शिकायत दर्ज करवाई जा सके। पुलिस के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक शिकायत पेटी होनी चाहिए जिसमें प्राप्त प्रत्येक शिकायत को शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से आमजन की शिकायतें प्राप्त करने के लिए थाने पर हर समय कम

से कम 2 अधिकारी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व संवेदनशीलता से बात करने वाले तैनात किये जायें तथा इन्हें समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। ऐसे अधिकारी कम से कम सहायक उप निरीक्षक स्तर के होने चाहिए तथा ऐसे अधिकारी पुलिस की वर्दी की जगह सामान्य वस्त्रों में रहें ताकि आमजन खुल कर अपनी समस्याएं व शिकायतें बता सकें।

6. पुलिस एकल खिड़की

स्मार्ट पुलिस को सभी कार्यों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें पासपोर्ट शाखा जिसमें पासपोर्ट संबंधित जांच व पूछताछ के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदि, डाक शाखा में डाक प्राप्ति व रवानगी आदि, जांच शाखा में सेवा जांच, शस्त्र लाइसेंस जांच, पटाखों के लिए लाइसेंस, धरना/प्रदर्शन आदि के लिए अनुमति, ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग की अनुमति, शराब के लिए अनुमति आदि व विदेशी शाखा में विदेशियों का पंजीकरण, वीजा विस्तार, शहर छोड़ने की अनुमति आदि कार्य एक साथ किये जा सकें।

7. चलित पुलिस थाना

यह प्रयोग चंडीगढ़ पुलिस ने किया है जिसमें समाज के कमजोर तबका जो कि कच्ची बस्तियों में रह रहा है तथा अशिक्षित है उन्हें कानूनी सहायता देने के लिए एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के पुलिस थाने बनाये गये हैं जो घटना स्थल या इन बस्तियों में जा कर उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। सभी स्मार्ट शहरों के लिए यह प्रयोग अनुकरणीय है।

8. शून्य सहिष्णुता पुलिसिंग या ब्रोकन विंडो पुलिसिंग

स्मार्ट पुलिसिंग में अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए, अर्थात् छोटे से छोटे अपराध को भी सहन नहीं किया जाना चाहिए विशेषकर जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अपराधों के मामले में। इनमें वेश्यावृत्ति, उग्र भिक्षावृत्ति, सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यातायात नियमों का उल्लंघन व अनियमित वाहन चालन, अवैध वसूली आदि जैसे छोटा से छोटा अपराध शामिल है। इस प्रकार की पुलिसिंग के लिए **'ब्रोकन विंडो'**, विश्लेषण इस आधार पर प्रयुक्त किया गया है कि किसी अपराध को नजरअंदाज करना उस से बड़े अपराध का आमंत्रण देने जैसा होता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नब्बे के दशक में इस प्रकार का प्रयोग किया गया था और उस दौरान अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने भी अपने पांचवें प्रतिवेदन में **शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक अधिनियम, 1884** व नगरीय कानूनों को कठोरता से पालन करवाने और कानूनों के उल्लंघन पर शून्य सहिष्णुता रणनीति अपनाने की सिफारिश की है।

9. हॉट-स्पॉट पुलिसिंग

इस प्रकार की पुलिसिंग में पुलिस द्वारा शहर के उन क्षेत्रों को पहचाना जाता है जहां पर अपराध दर ज्यादा है या एक ही प्रकार के अपराध ज्यादा होते हैं। इन स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ा कर व वहां के स्थानीय निवासियों की सहायता से ऐसे अपराधों के

कारणों व ऐसे आपराधिक तत्वों की पहचान कर उन पर नियंत्रण स्थापित करने का व उनके निवारण का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी जगहों या क्षेत्रों में पुलिस गश्त द्वारा या अपराध दर अधिक होने पर स्थाई या अस्थाई चौकी स्थापित कर के भी पुलिस की उपस्थिति बढ़ा सकती है। पुलिस की आमजन में उपस्थिति बढ़ने से अपराध स्वयं ही कम हो जायेंगे व जनता में पुलिस की अच्छी छवि भी बनेगी।

स्मार्ट शहर उदयपुर की पुलिस के नवाचार

एक्शन उदयपुर

उदयपुर प्रशासन ने उदयपुर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए तथा प्रशासन से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने व उनका समाधान करने लिए **'एक्शन उदयपुर'** मोबाइल एप बनाया गया है। इसके द्वारा प्रशासन से सम्बन्धित शिकायत दर्ज की जा सकती है। उदयपुर कलक्टर की सिफारिश पर पुलिस घटक भी इस मोबाइल सेवा में जोड़ा गया है, इससे अपराधों के नियंत्रण में पुलिस को सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही शिकायतें, इस एप पर दर्ज होते ही प्रकरण संबंधित त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

महिला गश्ती दल (Lady Patrol Team)

देश की पहली लेडी पेट्रोल टीम का गठन 06 अक्टूबर, 2016 को उदयपुर में किया गया है जिसमें 24 महिला कांस्टेबल शामिल है। इनको तीन माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें स्वीमिंग, एरोबिक्स, मार्शल आर्ट, योग, मोटरसाइकिल चलाना, वायरलैस ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार आदि शामिल हैं। इस दल को विशेष प्रकार की मोटरसाइकिल दी गई है जिसमें लाइट, हूटर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ वायरलैस, पुलिस केन, फर्स्ट-एड-बॉक्स, विशेष प्रकार की लठ आदि हैं। इस दल को विशेष प्रकार की पिस्टल भी दी गई है जिसका आपातकाल में प्रयोग का अधिकार भी है। यह दल पुलिस कंट्रोल रूम से संचालित होता है। यह दल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) के अधीक्षण में कार्य करता है। यह दल उदयपुर शहर के छः क्षेत्रों में चार शिफ्टों में सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक गश्त करता है तथा इस दल का गठन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में अपराधियों की धरपकड़ करने, पर्यटकों और घायलों की मदद करने व एम्बुलेंस आने से पहले प्राथमिक उपचार देने, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में काउंसलिंग देने, आपात परिस्थितियों में तत्काल पहुँचने, महिलाओं और विद्यालय व कालेजों की छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ व चेन स्नेचिंग की रोकथाम करने और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने हेतु किया गया है।

पुकार एप

लिंग आधारित अपराध और उदयपुर शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी कदम उठाते हुए दिसम्बर 2014 में उदयपुर पुलिस ने पुकार एप का बनाया है। उदयपुर के नागरिकों, महिलाओं और पर्यटकों द्वारा किसी भी विकट परिस्थितियों जैसे - बलात्कार, लैंगिक प्रताड़ना, जबरन शादी, अपहरण, घरेलू हिंसा आदि में पुलिस से सम्पर्क करने के लिए यह एप बनाया गया है। इस एप के द्वारा कोई भी अपने स्थान की जानकारी पुलिस व अपने मोबाइल सम्पर्क वाले किन्हीं 5 व्यक्तियों को भेज सकता है ताकि वे उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को सूचना दे सके। कोई भी व्यक्ति

जब इस एप को डाउनलोड करता है तो उसे अपना नाम, मोबाइल नम्बर व अन्य जानकारी इसमें आरक्षित करनी पड़ती है साथ ही उसे अपने पांच जानकारों के नम्बर भी इसमें डालने पड़ते हैं। आपातकाल के समय इन जानकारों को SOS संदेश चला जाता है तथा वह पुलिस से सम्पर्क कर सकते हैं।

पुलिस ऑन वाट्सएप

उदयपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण व अपराध सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए वाट्सएप एकाउंट बनाया है जिसका नम्बर 7073100100 है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी शिकायत भेज सकता है तथा किसी असामाजिक तत्व का फोटो या वीडियो भी भेज सकता है जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। यह एप छेड़छाड़, लपकों, चोर आदि के खिलाफ काफी कारगर साबित हुआ है।

संदर्भ

1. wikipedia.org/wiki/smart_city
2. smartpolicinginitiative.com/spi-events/smart-policing-concept
3. स्मार्ट पुलिस स्टेशन इन इच स्टेट शोर्टली, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 29 दिसम्बर 2014
4. पुलिस मैन्युअल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली, पृ. 94-95.

साइबर अपराध की दुनिया में युवाओं के बढ़ते कदम

प्रोफेसर अनुपम शर्मा
राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), अमरकंटक, मध्य प्रदेश

साइबर अपराध का अर्थ ऐसे अपराधों से हैं जहां पर अपराध को अंजाम देने के लिए कम्प्यूटर तकनीक के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकों के अत्याधुनिक स्वरूपों एवं उपकरणों (Gadgets) का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। साइबर अपराधों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है तथा अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आज वैश्विक (Global) स्वरूप धारण कर चुके हैं अर्थात् साइबर अपराधी किसी भी देश में बैठकर दुनिया के किसी भी देश में साइबर अपराध को अंजाम दे सकता है। इंटरनेट का प्रयोग आज विश्व के अधिकतर देशों में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट के प्रयोग ने समस्त विश्व के देशों को एक समष्टि स्वरूप प्रदान कर दिया है अर्थात् अब अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाएं सेकेण्डों की गति से विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है। इंटरनेट की इसी गति ने जहां समस्त विश्व को नवीन मापदण्ड प्रदान किये वहीं दूसरी तरफ अपराधों की संख्या एवं गति पर इसके नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था अर्थात् बीसवीं सदी के अंत तक जहां परम्परागत अपराधों का वर्चस्व था वहीं सदी के अंत तक अपराधों के नवीन एवं भिन्न स्वरूप सामने आये। इंटरनेट के तेजी से प्रसार के साथ ही साइबर अपराध के आंकड़े निरन्तर तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में जहां 9622 साइबर अपराध के मामले दर्ज किये गये थे वहीं वर्ष 2015 में इन आंकड़ों की संख्या 11592 तक पहुंच गयी थी। साइबर अपराध के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अपराधों में तीव्र वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधों के कारण परम्परागत अपराध के कारणों से भिन्नता रखते हैं। साइबर अपराधों में अपराध को अंजाम देने के पीछे प्रमुख कारण व्यक्ति का कुछ नया करने की चुनौती स्वीकार करने का, दूसरों को तकनीक के माध्यम से परेशान करने का होता है। दूसरा कारण अनभिज्ञता के कारण अपने आंकड़ों का संरक्षण सही से न कर पाना अर्थात् अपराधी के द्वारा उन आंकड़ों में सेंध लगाकर उनको चुरा लेना, परिवर्तन कर देना होता है। विभिन्न माध्यमों से साइबर अपराधियों को मिलने वाला संरक्षण भी होता है। अन्य महत्वपूर्ण कारण आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। व्यक्ति कभी-कभी यह जानते हुए इस दुनिया में फंस जाता है कि यहां कुछ नहीं होता है अर्थात् वह साइबर दुनिया के नियमों एवं कानूनों से अनभिज्ञ होता है। परन्तु दूसरी तरफ यह भी कटु सत्य है कि साइबर अपराधों में बिना जाने गलती होने पर अपराधों पर भी समान सजा का प्रावधान है। बाहर से सामान्य प्रतीत होने वाली तस्वीर, सूचना एवं अन्य सामग्री का डाउनलोड करना या आगे भेजना भी कभी-कभी साइबर अपराध की श्रेणी में ही आता है, जिसका विभेद करना सामान्य व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। वर्तमान में व्यक्ति दो दुनिया में निवास करता है पहली दुनिया वास्तविक (Real) होती है जहां पर वह चीजों को छू सकता है, महसूस कर सकता है और वास्तविक चीजों को वह आमने-सामने महसूस कर सकता है। दूसरी दुनिया काल्पनिक

(Virtual) होती हैं जहां पर व्यक्ति का जुड़ाव एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Electronic device) जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर एवं अन्य संचार के साधनों के माध्यम से होता है। काल्पनिक दुनिया में व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से आमने सामने का सम्बन्ध नहीं हो पाता है बल्कि वह सूचनाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस दुनिया में सूचनाओं का सत्यापित करना नितान्त कठिन या लगभग असम्भव ही होता है अर्थात् व्यक्ति काल्पनिक एवं झूठी सूचनाओं के आधार पर तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर भी एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दूरस्थ सम्बन्ध बनाये रख सकता है। वास्तविक दुनिया में अपराधों को जहां वास्तविक रूप में वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अंजाम दिया जाता है वहीं काल्पनिक दुनिया में अपराध को तकनीक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अंजाम दिया जाता है।

साइबर अपराध कम्प्यूटर या किसी भी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किये जाते हैं। साइबर अपराध सूचनाओं के गलत माध्यम से संकलन से आरम्भ होकर अपराध की जघन्यता की सीमा के अन्तिम पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं अर्थात् जहाँ पर व्यक्ति दूसरों की हत्या तथा आत्म हत्या तक कर लेते हैं। काल्पनिक दुनिया में घटित अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। इन अपराधों में अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में तथा कभी-कभी पड़ोस में भी हो सकता है इसलिए साइबर अपराधियों को पहचानना एवं पकड़ना निश्चित ही कठिन कार्य होता है।

साइबर अपराधों की संख्या में भारत में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसका प्रमुख कारण है कि व्यक्तियों का बिना जानकारी एवं जागरूकता के इंटरनेट का विभिन्न रूपों जैसे इलैक्ट्रॉनिक मेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तथा सोशल साइंस जैसे माध्यमों का प्रयोग करना। इन इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचनाएं सार्वजनिक हो जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के साथ अपराध घटित होने की सम्भावना भी अधिक हो जाती है।

TABLE-1
Cases Reported and Persons Arrested under Cyber Crime and Their Percentage Variation in 2015 Over 2014

S. No.	State/UT	Cases Reported under Total Cyber Crimes			Persons Arrested under Total Cyber Crimes			Percentage Share of Cases Reported under Cyber Crime during 2015
		2014	2015	% Variation	2014	2015	% Variation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	STATES:							
1.	Andhra Pradesh	282	536	90.1	236	522	121.2	4.6
2.	Arunachal Pradesh	18	6	-66.7	2	4	100.0	0.1
3.	Assam	379	483	27.4	351	457	30.2	4.2

4.	Bihar	114	242	112.3	111	1567	1311.7	2.1
5.	Chhattisgarh	123	103	-16.3	105	99	-5.7	0.9
6.	Goa	62	17	-72.6	14	5	-64.3	0.1
7.	Gujarat	227	242	6.6	174	272	56.3	2.1
8.	Haryana	151	224	48.3	121	205	69.4	1.9
9.	Himachal Pradesh	38	50	31.6	16	38	137.5	0.4
10.	Jammu & Kashmir	37	34	-8.1	4	12	200.0	0.3
11.	Jharkhand	93	180	93.5	57	172	201.8	1.6
12.	Karnataka	1020	1447	41.9	372	293	-21.2	12.5
13.	Kerala	450	290	-35.6	283	191	-32.5	2.5
14.	Madhya Pradesh	289	231	-20.1	386	230	-40.4	2.0
15.	Maharashtra	1879	2195	16.8	942	825	-12.4	18.9
16.	Manipur	13	6	-53.8	3	0	-100.0	0.1
17.	Meghalaya	60	56	-6.7	12	20	66.7	0.5
18.	Mizoram	22	8	-63.6	4	18	350.0	0.1
19.	Nagaland	0	0	-	0	0	-	0.0
20.	Odisha	124	386	211.3	17	110	547.1	3.3
21.	Punjab	226	149	-34.1	159	136	-14.5	1.3
22.	Rajasthan	697	949	36.2	248	295	19.0	8.2
23.	Sikkim	4	1	-75.0	2	1	-50.0	0.0
24.	Tamil Nadu	172	142	-17.4	120	125	4.2	1.2
25.	Telangana	703	687	-2.3	429	430	0.2	5.9
26.	Tripura	5	13	160.0	1	8	700.0	0.1
27.	Uttar Pradesh	1737	2208	27.1	1223	1699	38.9	19.0
28.	Uttarakhand	42	48	14.3	39	23	-41.0	0.4
29.	West Bengal	355	398	12.1	212	287	35.4	3.4
	TOTAL STATE(S)	**9322**	**11331**	**21.6**	**5643**	**8044**	**42.5**	**97.7**
	UNION TERRITORIES:							
30.	A & N Islands	13	6	-53.8	5	2	-60.0	0.1
31.	Chandigarh	55	77	40.0	45	22	-51.1	0.7
32.	D&N Haveli	3	0	-100.0	1	0	-100.0	0.0
33.	Daman & Diu	1	1	0.0	2	0	-100.0	0.0
34.	Delhi UT	226	177	-21.7	56	53	-5.4	1.5
35.	Lakshdweep	1	0	-100.0	0	0	-	0.0
36.	Puducherry	1	0	-10.0	0	0	-	0.0
	TOTAL UT(S)	**300**	**261**	**-13.0**	**109**	**77**	**-29.4**	**2.3**
	TOTAL ALL INDIA	**9622**	**11592**	**20.5**	**5752**	**8121**	**41.2**	**100.0**

Source: भारत में अपराध-2015, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

TABLE-2
Cases Reported and Persons Arrested under Cyber Crime and Their Percentage Variation in 2015 Over 2014

S. No.	Crime Head	Below 18 Years (Juveniles)		
		Male	Female	Total
	CRIME HEAD:			
1.	IT - Tampering Computer Source Documents	0	0	0
2.	IT - Computer related Offences	70	3	73
3.	Computer related Offences - Under Section 66A*	63	1	64
4.	Computer related Offences - Under Section 66B	0	0	0
5.	Computer related Offences - Under Section 66C	6	2	8
6.	Computer related Offences - Under Section 66D	0	0	0
7.	Computer related Offences - Under Section 66E	1	0	1
8.	IT - Cyber terrorism	0	0	0
9.	IT - Publication/Transmission of Obscene/Sexually Explicit Content	10	0	10
10.	Under section 67A#	7	0	7
11.	Under Section 67B	3	0	3
12.	Under Section 67C	0	0	0
13.	IT - Intentionally not Complying with the Order of Controller	0	0	0
14.	IT - Failure to Provide or Monitor or Intercept of Decrypt Information	0	0	0
15.	IT - Failure to Block Access any Information Hosted etc.	0	0	0
16.	IT - Not Providing Technical Assistance to Govt. to Enable Online Access	0	0	0
17.	IT - Un-authorized Access/Attempt to Access to Protected Computer System	0	0	0
18.	IT -Misrepresentation/suppression of Fact for Obtaining License etc.	0	0	0
19.	IT - Breach of Confidentiality/Privacy	0	0	0
20.	IT - Disclosure of Information in Breach of Lawful Contract	0	0	0
21.	IT - Publishing/Making Available False Elect. Signature Certificate	0	0	0
22.	IT - Create/Publish/Make Available Elec. Signature Certificate for Unlawful Purpose	0	0	0
23.	IT - Others	15	0	15
	Total Offences under IT Act	**95**	**3**	**98**
1.	IPC - Offences by Public Servant	0	0	0
2.	IPC - Fabrication/Destruction of Electronic records for evidence	0	0	0
3.	IPC - Cheating	12	0	12
4.	IPC - Forgery	1	0	1
5.	IPC - Data Theft	1	1	2

6.	IPC - Criminal Breach of Trust/Fraud	2	0	2
7.	IPC - Credit/Debit Card	0	0	0
8.	IPC - Others	2	0	2
9.	IPC - Counterfeiting	0	0	0
10.	IPC - Currency	0	0	0
11.	IPC - Stamps	0	0	0
12.	IPC - Others	35	0	35
	Total Offences under IPC	**51**	**1**	**52**
1.	Copyright Act, 1957	2	0	2
2.	Under Section 63	2	0	2
3.	Under Section 68A	0	0	0
4.	Others	0	0	0
5.	Trade Marks Act, 1999	0	0	0
6.	Under Section 102	0	0	0
7.	Under Section 103	0	0	0
8.	Under Section 104	0	0	0
9.	Others	0	0	0
10.	Others SLL Offences	0	0	0
	Total SLL Offences	**2**	**0**	**2**

Corrigendum: * It include the cases under Section 66 of IT Act also.
It include the cases under Section 67 of IT Act also.
Source: भारतीय में अपराध-2015, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

उपर्युक्त तालिका के अनुसार भारत में वर्ष 2015 में साइबर अपराध के कुल 11592 मामले दर्ज किये गये। ये मामले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारत दण्ड संहिता तथा विशेष एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में दर्ज किये गये थे। साइबर अपराध के मामले भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में 19.0 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 18.9 प्रतिशत मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में साइबर अपराधों में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो निश्चत रूप से चिन्तनीय समस्या है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से निकलता है कि भारत में वर्ष 2015 में जितने साइबर अपराधी गिरफ्तार किये गये अपराधियों की संख्या 311 थी। आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर दुनिया के अपराधों में नवयुवकों की पैंठ दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कुल अपराधियों के 21 प्रतिशत अपराधी गिरफ्तार किये गये। भारत में गिरफ्तार अपराधियों के प्रतिशत के आधार पर उनको तीन वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे राज्य हैं जहां पर गिरफ्तार साइबर का प्रतिशत 15-20 के मध्य है। दूसरे वर्ग में वे राज्य आते हैं जहां पर गिरफ्तार साइबर अपराधियों का प्रतिशत 10 से 20 के मध्य है तथा तीसरा वर्ग उन राज्यों का है जहां पर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी नगण्य दिखलायी देती है। राज्यवार गिरफ्तार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में अन्तर बहुत अधिक है। निश्चित रूप से इसका प्रमुख कारण

राज्य की जनसंख्या है परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य गौण कारण भी है जो इस अन्तर को और अधिक गहरा बनाते हैं, इनका भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की नितान्त आवश्यकता है।

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय समाज के लिए निश्चित रूप से विचलित करने वाले हैं क्योंकि जहां यह आयु अध्ययन एवं अपने कैरियर को निश्चित गति एवं आयाम देने की होती है वहीं उसी आयु का युवा वर्ग अपने पथ से विचलित हो रहा है और गलत रास्ते पर चलना आरम्भ हो रहा है। यद्यपि पूर्व में भी परम्परागत अपराधों में कम आयु के अपराधी पाये जाते थे। परन्तु चिन्तनीय विषय यह है कि साइबर अपराधियों के आंकड़े कई गुणा अधिक हैं और ये आंकड़े वर्ष प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। साहित्य के अवलोकन के पश्चात् तथा आंकड़ों के विश्लेषण के साथ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इनमें से अधिकतर अपराधी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं परन्तु दूसरी तरफ इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जानकारी के अभाव के कारण भी ये अपराध घटित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप भारत में पिछले पांच वर्षों में साइबर अपराधों में तीव्र वृद्धि हुई है जो निश्चित ही चिंता का विषय है।

भारत में बढ़ते साइबर अपराधों में युवाओं का शामिल होना निश्चित ही चिन्तनीय विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए निश्चित ही चहुंमुखी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। बच्चों की प्रथम पाठशाला उनका परिवार होता है। जहां से उनकी अनौपचारिक रूप से शिक्षा आरम्भ हो जाती है। यह अनौपचारिक शिक्षा आगे निरन्तर रूप से चलती रहती है। बाल्यावस्था से ही आज बालक काल्पनिक (Virtual) दुनिया में प्रवेश कर जाता है जो उसके लिए एक अनजान दुनिया होती है। यह दुनिया उसको मनोरंजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण जानकारी के क्षणिक पल में उपलब्ध कराती है परन्तु साइबर दुनिया के नियमों से वह अनजान रहता है। जानकारी का अभाव उसको साइबर अपराध से पीड़ित बना देता है तथा कभी-कभी उसके साथ बड़े अपराध भी घटित हो जाते हैं। दूसरा पहलू यह होता है कि काल्पनिक दुनिया में प्रवेश के परिणामस्वरूप उसमें चुनौती स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती जाती है, यही क्षमता उसको धीरे-धीरे इस क्षेत्र में पारंगतता प्रदान करती है। पारंगतता के साथ तथा साइबर दुनिया के नियमों एवं कानूनों के अभाव में उसे धीरे-धीरे साइबर अपराध का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2015 में 98 बालक 18 से कम उम्र के साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार किये गये। यदि एक बार व्यक्ति अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेता है तो उसके बाद उसको उस दुनिया से निकलना कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार यदि बालक साइबर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है तो यह निश्चित है कि वह और गहरे दलदल में फंसता चला जाता है। इसके परिणामस्वरूप जहां 18 वर्ष तक गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या 98 थी वहीं 18 से 30 वर्ष तक गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या 311 थी। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ रही है।

साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपराध को अंजाम दे सकता है। इसमें क्राइम सीन पर अपराधी की उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होती है। जिससे इस प्रकार के अपराधों का

अन्वेषण, डिटेक्शन व एविडेन्स पेश करना कठिन कार्य होने के कारण साइबर अपराधी को पकड़ना बहुत कठिन कार्य होता है। कभी-कभी अपराधी पीड़ित का पड़ोसी भी हो सकता है और कभी-कभी दुनिया के किसी दूरस्थ क्षेत्र में बैठा हुआ भी हो सकता है। नवयुवकों का साइबर अपराधों के प्रति आकर्षित होने का एक और प्रमुख कारण यह भी होता है कि साइबर अपराधों में अपराधी की घटनास्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है तथा शारीरिक प्रयास भी न के बराबर होते हैं, यही कारण है कि नवयुवक साइबर अपराधों की तरफ अग्रसर हो जाता है। साइबर अपराधी भी निश्चित रूप से यह समझते हैं कि साइबर अपराधों की जानकारी के अभाव, अन्वेषण की सीमित क्षमता के कारण साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करना निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है जिसके परिणाम स्वरूप वे लम्बे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बचे रह सकते हैं। इसी का परिणाम होता है साइबर अपराधी लम्बे समय तक साइबर दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाये रखता है।

साइबर अपराध को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। काल्पनिक दुनिया में कार्य करने वाले को साइबर दुनिया के नियम एवं कानूनों की जानकारी का अभाव भी साइबर अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। यद्यपि पुलिस के द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, परन्तु वर्तमान समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों की अधिकता तथा प्रभावशीलता बनाये जाने की आवश्यकता है। सूचना तकनीकी अधिनियम की नवीन परिभाषा के अनुसार किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण से किसे गये किसी भी अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। साधारण शब्दों में यदि एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से उसकी सूचनाओं को पढ़ता या चोरी करता है तो वह साइबर अपराध की श्रेणी में आता है परन्तु व्यवहार में व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार अनेक बार दोहराता है अर्थात् उसको यह जानकारी नहीं होती है कि उसका यह कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में है और वह दण्डनीय अपराध है।

भारत में साइबर अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए 17 अक्टूबर, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act 2000) अस्तित्व में आया। इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धारायें हैं। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसमें संशोधन किया गया। समाज में इस कानून की जानकारी अभी भी बहुत सीमित है परिणाम स्वरूप बच्चे एवं किशोर टैक्नोलाजी को चुनौती के रूप में स्वीकार कर चाहे, अनचाहे अपराध को अंजाम दे देते हैं। साइबर कानून की जानकारी के अभाव में साइबर अपराधों के दण्डों की गहराई को भी वे नहीं जान पाते हैं जिसमें कारावास के साथ-साथ आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है। इसलिए वर्तमान में आवश्यकता है कि अधिक से अधिक इस कानून के बारे में जागरूकता (विशेष रूप से स्कूल एवं कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं में) लाने की आवश्यकता है। यह पहल निश्चित रूप से साइबर अपराध को अंजाम देने से पूर्व उनमें कानून के भय का अहसास करायेगी।

अभिभावकों को अपने बच्चों पर बाल्यावस्था से ही दृष्टि रखने की आवश्यकता है। इंटरनेट को प्रयोग की अनुमति भी बच्चों को निश्चित समय के लिए प्रदान की जानी चाहिए तथा समय-समय पर बच्चों

द्वारा सर्च की गयी साइटों पर भी निगरानी रखनी चाहिए। इसी समय पर बच्चों को उचित एवं अनुचित के सन्दर्भ में उनको सचेत किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह वर्ग सबसे अधिक फेसबुक एवं व्हाट्एप को प्रयोग करते हैं। इनको प्रयोग करते समय किन-किन सावधानियों को प्रयोग में लाना है उसकी भी औपचारिक एवं अनौपचारिक जानकारी उनको प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे कानूनी व गैरकानूनी के अन्तर को भली भांति समझ सकें। सूचनाओं करे डाउनलोड एवं दोबारा प्रयोग तथा फारवर्ड करते समय विशेष सावधानी बरतने की हिदायत भी बच्चों को दी जानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु है कि समाज में आज बच्चे एवं नवयुवक वास्तविक दुनिया से कहीं अधिक काल्पनिक दुनिया (Virtual World) में अपना समय व्यतीत करते हैं। इसे वे काल्पनिक दुनिया की खुशी को वास्तविक दुनिया की खुशी से अधिक महत्व देने में लगे हैं। इसी को एक महत्वपूर्ण उदाहरण ब्लू व्हेल नामक गेम से समझा जा सकता है जो एक गेम से आरम्भ होकर व्यक्ति को आत्महत्या तक करने के लिए विवश कर देता है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के अन्य अनेकों देशों के बच्चे, नवयुवक एवं वयस्क तक भी इस गेम के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए वर्तमान में इस प्रवृत्ति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति वास्तविक एवं काल्पनिक दुनिया की वास्तविकता को समझ कर उसके नियम एवं कानूनों से भली भांति परिचित हो सकें।

सरकार के द्वारा भी समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिससे साइबर अपराध से पीड़ितों के लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध घटित हुआ है तो उसे उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को देनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि पीड़ित को न्याय मिल जाता है तथा दूसरे साइबर अपराधी को भी दण्ड मिल जाता है जो निश्चित रूप से अन्य अपराधियों के लिए एक सबक सिद्ध होता है।

वर्तमान में साइबर अपराधों की गहनता को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य पाठ्यक्रम में भी इसको स्थान दिये जाने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही साइबर दुनिया के नियमों एवं कानूनों से अवगत कराकर अपराधी एवं पीड़ित दोनों ही अवस्था से सुरक्षित किया जा सके। पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण बच्चों एवं नवयुवकों को साइबर दुनिया की सामान्य जानकारी हो सकेगी जिसके परिणाम स्वरूप वह साइबर दुनिया के नियमों एवं कानूनों के अनुसार अपना व्यवहार एवं आचरण करेगा। नियमानुसार व्यवहार ही साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में नैतिक एवं सकारात्मक प्रयास सहायक सिद्ध होगा।

वर्तमान में डेटा सुरक्षा के महत्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में डेटा सुरक्षा को प्रमुख महत्व देने की आवश्यकता है। बड़ी कम्पनियों में आंकड़ों को सुरक्षित रखने के उपाय हैं परन्तु छोटी कम्पनियों में इन उपायों का अभाव पाया जाता है। यह अभाव भी साइबर अपराध को घटित करने का प्रमुख कारण पाया जाता है। सुरक्षा उपायों को इन्हीं का लाभ नवयुवकों के द्वारा किया जाता है।

भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में से एक है जिसका बड़ा भाग युवा वर्ग से आता है। इस वर्ग की साइबर अपराधों की तरफ बढ़ती प्रवृत्ति निश्चित रूप

से चिन्तनीय एवं विचारणीय प्रश्न है। यद्यपि इस प्रवृति के अनेक कारण उत्तरदायी हैं जो नवयुवकों को साइबर अपराध की दुनिया की तरफ अग्रसर करते हैं। वर्तमान में इन समस्त कारणों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है जिससे समस्या की गहराई का वास्तविक विश्लेषण सम्भव हो सके। वास्तविक कारणों के विश्लेषण के आधार पर सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर ऐसे अवश्यम्भावी कदम उठाये जायें जो समस्या के नियन्त्रण में सहायक सिद्ध हो सकें। जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों के ऊपर उचित निगरानी, कड़ा सामाजिक नियन्त्रण तथा सख्त कानून निश्चित रूप से इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकते हैं तथा नवयुवकों को अपराध की दलदल की दुनिया में प्रवेश से रोक कर उनको सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

- भारत में अपराध-2015, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000, भारत सरकार
- Duggal, Pavam (2015), 'Whatsapp & India Cyber Law', Kindle Edition.
- Duggal Pavan, 'Protecting your population in cyber space, Brief Cases', The Economic Times, New Delhi, July 1, 2001.
- Duggal, Pavan (2013), 'Law Relating to Ideas, Tablets, Smartphones and Smart Devices', Universal Law Publishing Co. New Delhi, India.
- M. Mohan, Richard, Bressler, Martin S., Bressler Linda (2016) 'New Global Cyber Crime Calls for High Tech Cyber-Cops' Journal of Legal, Ethical and Regulating Issues, Vol. 19, No. 1, Jan-2016.
- Kyung-Shick Chei (2010), 'Risk Factors in Computer Crime Victimization', LFB, Scholarly Publishing LLC EI Paso, Tx, 21010.
- Mishra, R.C. (2002), 'Cyber Crime-Impact in the New Millenium', Authors Press.
- Neumann, Peter, G. (1995), 'Computer Related Risk', Addision Wesley USA/
- Tiwari, Garima (2014), 'Understanding Cyber Laws and Cyber Crime', Leris Nexis, India.
- Godbole Nina and Belapur', Sunit, (2011), 'Cyber Security' Wiley India.

''अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टमः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत
विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग
डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

ज्योति भारद्वाज
एम.ए. समाज शास्त्र
डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

अध्ययन का सामान्य परिचयः

''अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टमः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' सागर जिले के CCTNS के विशेष संदर्भ में किये गये शोध अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन सागर जिले के पुलिस विभाग में CCTNS प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर तथा पुलिस कंट्रोल रूम एवं अन्य पुलिस प्रभागों पर आधारित है। CCTNS किस प्रकार अपराध अन्वेषण में सहायक सिद्ध होता है। इसके लिए CCTNS के प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण लेते हुए पुलिस तथा CCTNS के प्रभारी एवं जिले के विभिन्न अनुभागों के पुलिस कर्मचारी को अध्ययन हेतु समग्र के रूप में लिया है। प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि किस तरह CCTNS प्रणाली अपराध अन्वेषण तथा अपराध नियंत्रण में किस हद तक सहायक होती है।

अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS)

एक प्लान स्कीम है जो एक नॉन-प्लान स्कीम कॉमन इंटेग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA) के अनुभव से विकसित हुआ है। (CCTNS) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गर्वनेस प्लान के अधीन एक मिशन मोड परियोजना है। अपराध की जांच एवं अपराधियों की पहचान से संबंधित आईटी आधारित स्टेट ऑफ ट्रैकिंग प्रणाली के विकास हेतु ई-गर्वनेस के सिद्धांत की कार्यकुशलता तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का निर्माण करना (CCTNS) का उद्देश्य है। (CCTNS) परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति (CCEA) ने इस परियोजना को दिनांक 19.06.2009 को अनुमोदित कर दिया था।[1]

अपराध व आपराधिक खोज तंत्र एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) को सभी उपयोगकर्ता (Stake holder) के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर गृह मंत्रालय (M.H.A.) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनके हितधारक में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB), राज्य सरकार, सूचना तकनीकी विभाग (D.I.T.) भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C.) शामिल है। इसे ''मिशन मोड परियोजना (M.M.P.)'' के रूप में कार्यान्वित किया जाता है तथा यह राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना (N.E.G.P.) के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा।

सीसीटीएनएस सभी स्तरों पर व्यापक तथा एकीकृत सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। खासकर इसे पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस व्यवस्था को प्रभावी तथा दक्ष बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। जो ई-गर्वनेंस के सिद्धांतों के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम है। साथ ही

कम समय में ''अपराध की जांच व अपराधियों की पहचान'' के लिए पूर्ण विकसित उच्चस्तरीय सूचना यंत्र के विकास हेतु राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण करना है जो कि वर्तमान स्थिति में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण करता है जो उच्च स्तरीय स्वचालित सिस्टम को योजनाबद्ध रूप से पुलिस थानों एवं उससे ऊपर के स्तर के सभी व्यवस्थापकों एवं नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी।

यह प्रोजेक्ट पुलिस इकाइयों से सीधा सम्पर्क प्रदान करता है। राज्यों, पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस कार्यालयों, राज्य मुख्यालय, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा 'अन्य' पुलिस संगठनों के भीतर पुलिस स्टेशन को विविध स्तरों पर जोड़ता है तथा भारत सरकार के स्तर पर (N.C.R.B.) के लिए (S.C.R.B.) तथा राज्य मुख्यालय के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ता है। बाहरी एजेंसियों को केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर पुलिस विभागों से जोड़ता है। (CCTNS) नागरिकों को मूल सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक इंटरफेस भी प्रदान करता है।

इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य राज्य स्तर पर SSDG (Stage Service Delivery Gateway) के प्रयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर NSDG के प्रयोग के माध्यम से सूचना तथा खुफिया जानकारी को सांझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच को तैयार करने का है। यह बहुत सारी विभिन्न एजेंसियों को अंतिम स्तर तक आंकड़े और जानकारियों को पुलिस स्टेशन या PCR पर साझा करने की अनुमति देती है। यह पुलिसकर्मियों को चुने गए संचार विधा के माध्यम से वास्तविक समय में सूचना उपलब्धता के आधार पर उन्हें अपनी कार्रवाई को सही तरीके से करने की अनुमति देता है।

नागरिकों तथा आरक्षियों को सेवाएं प्रदान करना[3]:

यह प्रोजेक्ट ऐसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित है जिन्हें नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर नजदीकी सेवा केन्द्र इंटरनेट, पुलिस स्टेशन आदि से तत्काल प्राप्त कर सकता है। यह पुलिसकर्मियों को सही समय पर विविध स्त्रोतों से प्राप्त नागरिक शिकायतों तथा अनुरोधों तक पहुंच प्रदान करेगी। इससे यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकरण का समाधान प्रभावी तरीके तथा सही समय पर किया जा सकेगा। यह सिस्टम पुलिसकर्मियों को प्रभावी व त्वरित रूप से पंजीकरण, अनुसंधान तथा प्रकरण के अभियोजन पक्ष को तैयार करने में सक्षम बनाएगा। इससे पुलिस द्वारा एक ही कार्य के लिए बार-बार की जाने वाली कागजी कार्रवाईयों में कमी आएगी जिससे अनुसंधान की प्रक्रिया में गति आएगी। इससे नागरिकों की शिकायतों का निराकरण प्रभावी रूप से करने में मदद मिलेगी।

विज्ञान और तकनीकी का अभूतपूर्व विकास और अपराध अन्वेषण प्रणाली[4]:

बीसवीं सदी में विज्ञान और तकनीकी का अभूतपूर्व विकास हुआ है, और इक्कीसवीं सदी में यह निरंतर जारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, चाहे हम हरित क्रांति या श्वेतक्रांति की बात करें, चाहे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दूरसंचार क्रांति अथवा स्पेस में जाने की बात करें, चारों ओर विज्ञान और तकनीकी का प्रकाश है। परंतु विज्ञान एक दोधारी तलवार है। इसका यदि रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो यह अभिशाप है, अर्थात् यदि

अपराधी विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग अपराध करने हेतु करते हैं तो यह अभिशाप है यदि पुलिस अपराध अन्वेषण में इसका प्रयोग करती है, तो यह एक वरदान है। विज्ञान और तकनीकी ने अपराधियों की पहचान तथा अपराध अन्वेषण हेतु हमें आज अंगुलछाप, पदचिन्ह, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, इमेज एनालिसिस, साइबर फोरेंसिक्स, बायोमिट्रिक्स अध्यारोपण तथा स्वापक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ परीक्षण तकनीक उपलब्ध करवाई है। इनका उपयोग करके हम नि:संदेह अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। सिंह, एस.पी. 2013

अध्ययन के उद्देश्य

- अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की जानकारी प्राप्त करना।
- अपराध अन्वेषण में अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की भूमिका का अध्ययन करना।
- अपराध नियंत्रण में अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की उपयोगिता:

- नीति निर्माण में सहायक (पुलिस विकास संबंधित)
- अपराध नियंत्रण में कार्य योजना बनाने हेतु सहायक।
- नवीन शोध में सहायक।

उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं शासकीय पृष्ठभूमि

1. लिंग आधार पर वर्गीकरण

लिंग	संख्या	प्रतिशत
स्त्री	6	20%
पुरूष	24	80%
योग:	**30**	**100%**

उत्तरदाताओं में से 20 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी/अधिकारी हैं, जबकि 80 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी/अधिकारी हैं।

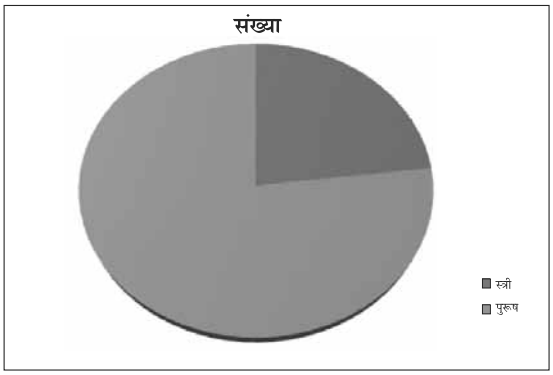

2. CCTNS से लाभ

	समय की बचत	श्रम की बचत	अधिक विश्वसनीय	पारदर्शिता	पु. कार्य. वृद्धि
उ. संख्या	30	30	30	30	30
%	100	100	100	100	100
योग	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि CCTNS पुलिस के लिये अत्यंत लाभकारी है। इससे समय, श्रम, विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

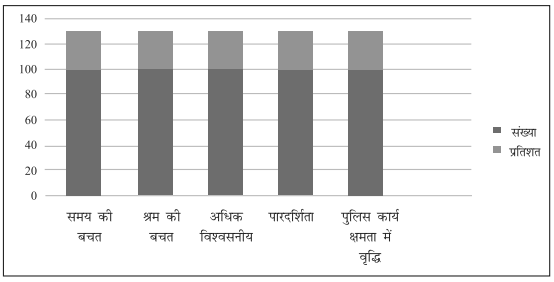

3. CCTNS के उपयोग में नेटवर्क की समस्या....

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
नेटवर्क की बहुत समस्या है	18	60%
नेटवर्क की समस्या ज्यादा नही है	8	26.67%
कभी-कभी आती है नेटवर्क की समस्या	4	13.33%
योग	**30**	**100%**

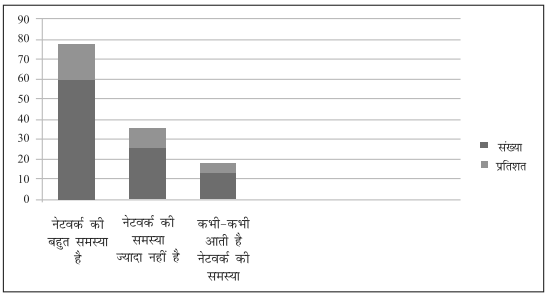

4. प्रशिक्षण अवधि की स्थिति:

समय	संख्या	प्रतिशत
15 दिन की प्रशिक्षण अवधि	15	50%
10 दिन की प्रशिक्षण अवधि	11	36.67%
निर्धारित प्रशिक्षण अवधि (8 दिन)	4	13.33%
योग:	**30**	**100%**

उपसंहार

100 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि CCTNS पुलिस के लिये अत्यंत लाभकारी है। इससे समय, श्रम, विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

CCTNS के प्रशिक्षण से पुलिसकर्मी में एक तो बेसिक कम्प्यूटर का ज्ञान बढ़ा है। साथ ही वह Globalised World में धीरे-धीरे Update हो रहे हैं। CCTNS एक बहुत छोटी सी शुरूआत है अपराध अन्वेषण एवं नियंत्रण के लिए भविष्य में भारतीय पुलिस भी विदेशी पुलिस की तरह टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हो जाएगी तथा बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में तत्पर होगी।

CCTNS Criminal record file ढूंढ़ने में जा रहे समय की बचत हुई है और साथ ही उनके श्रम में भी कमी आई है। जितना वक्त वह फाइल ढूंढ़ने में लगाते थे, अब एक मिनट में देख सकते हैं। और साथ ही अपने उच्च अधिकारियों तक जाने में उन्हें जो श्रम करना पड़ता था वह भी घटा है। CCTNS सभी स्तरों पर व्यापक तथा एकीकृत सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। खासकर इसे पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस व्यवस्था को प्रभावी तथा दक्ष बनने के लिए विकसित किया गया जो कि ई-गर्वनेंस के सिद्धांतों के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम है। साथ ही कम समय में ''अपराध की जांच व अपराधियों की पहचान'' के लिए पूर्ण विकसित उच्चस्तरीय सूचना यंत्र के विकास हेतु राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है जो कि वर्तमान स्थिति में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। जो उच्च स्तरीय स्वचालित सिस्टम को योजनाबद्ध रूप से पुलिस थानों एवं उससे ऊपर के स्तर के सभी व्यवस्थापकों एवं नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी।

1. आई.सी.टी. के प्रभावी प्रयोग द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना।

2. सिविल पुलिस के जांच अधिकारियों को टूल्स, तकनीकी तथा अपराध की जांच एवं अपराधियों की पहचान को सरल बनाने के लिए सूचना प्रदान करना।

3. पुलिस थानों, जिलों, संभाग प्रदेश मुख्यालयों तथा अन्य पुलिस एजेंसियों में परस्पर संवाद को सरल बनाना एवं सूचनाओं को साझा करना। पहले पी. एच.क्यू. से मांगी गई जानकारी बहुत ही लंबी प्रक्रिया से पी.एच.क्यू. तक पहुंचती थी।

4. नियमावली तथा अनावश्यक रिकॉर्ड के रख-रखाव को कम करना।

5. विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्र जैसे कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन इत्यादि में पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करना।

6. पुलिस बलों के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सहायता करना है। CCTNS पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाता है क्योंकि पुलिस बल किसी भी राज्य का जितना अधिक सक्षम, कुशल, प्रशिक्षित, जागरूक, सक्रिय एवं संसाधन युक्त होगा, उसकी कार्यप्रणाली और परिणाम उतने ही बेहतर और सार्थक होंगे।

7. किए गए शोध कार्य से पाया कि CCTNS से पुलिस की अपराध अन्वेषण तथा अपराध नियंत्रण क्षमता में वृद्धि हुई है। CCTNS प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य देश के समस्त पुलिस थानों और वरिष्ठ पुलिस कार्यालयों को एक नेट में जोड़ना है। इससे अपराध तथा अपराधियों की जानकारी का तत्काल आदान-प्रदान संभव हो सके तथा थाना स्तर पर सभी अभिलेख स्वयं ही कम्प्यूटरीकृत हो जायेंगे। CCTNS की प्रशिक्षण अवधि 8 दिन की होती है। 15 दिन की प्रशिक्षण अवधि के परिणाम बेहतर और सार्थक होंगे।

इस प्रोजेक्ट से पुलिस को होने वाले लाभ:-

1. आसानी से तत्काल अभिलेख एवं प्रतिवेदनों को तैयार करना।

2. थाने के रजिस्टर एवं अभिलेखों को हाथ से लिखने के काम के बोझ में कमी।

3. कम्प्यूटर पर सभी कार्य हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं में भी हो सकेगा।

4. बार-बार अनावश्यक अभिलेख लिखने के काम की समाप्ति।

5. विवेचना एवं अभियोजन कार्य के लिए अपराध एवं अपराधियों की जानकारी आसान तरीके से उपलब्ध।

6. विभिन्न जिलों से फोरेन्सिक साइंस लेबोरेट्री तथा फिंगर प्रिंट ब्यूरो इत्यादि से जानकारी प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया एवं समय में महत्वपूर्ण कमी।

7. अपराधों के रोकथाम के लिए सही समय पर

सूचना उपलब्ध कराना, जिससे बीट प्रणाली और गश्त प्रभावकारी होगा।

सुझावः

CCTNS एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है। किंतु इस प्रणाली में बहुत से सुधार की आवश्यकता है जैसे कि अपराधी के अपराध करने की कार्यप्रणाली (Modus operandi) किस प्रकार की है। यह भी CCTNS में अपडेट किया जाए जिससे कि अपराध अन्वेषण एवं नियंत्रण की पुलिस की क्षमता में और वृद्धि हो सके।

CCTNS की प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए प्रशिक्षण 8 दिन न होकर 15 दिन का हो।

नेटवर्क को गति पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि नेटवर्क स्लो होने से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। नेटवर्क तीव्र होने चाहिए ताकि इस केस (CCTNS) का उपयोग बेहतर हो।

सारे आधार कार्ड में जो फिंगर प्रिंट हैं उसको CCTNS से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई फिंगर प्रिंट मिले उसका नाम, पता तुरंत मिल सके।

संदर्भ सूचीः

1. www.ncrb.gov.in/...cctns.htm 5.5.17 6:22 PM
2. मध्यप्रदेश पुलिस उपयोगकर्ता पुस्तिका (C.C.T.N.S.)
3. www.ncrb.gov.in/...cctns.htm 5.5.17 6:22 PM
4. सिंह, एस.पी.; पुलिस विज्ञान, नई दिल्ली (अक्टूबर-दिसम्बर, 2013)
5. mppolice.gov.in/static/aboutus.aspex 9.5.17 1:06 am
6. कार्यालयीन प्रतिवेदन: पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सागर, वर्ष 2016
7. कुशवाह, लक्ष्मी; पुलिस विज्ञान, नई दिल्ली (अक्टूबर-दिसम्बर, 2013)
8. गौड़,, जे.आर.; पुलिस विज्ञान, नई दिल्ली (अक्टूबर-दिसम्बर, 2013)
9. दार्शनिक, ओमप्रकाश; पुलिस विज्ञान, नई दिल्ली (अक्टूबर-दिसम्बर, 2013)
10. भारद्वाज ज्योति; पुलिस विकास एवं अपराध नियंत्रण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर जिले के CCTNS के विशेष संदर्भ में) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 2017

हमारा माइक्रोबायोम

क्या अपराध अन्वेषण में मानवीय DNA के साथ-साथ सूक्ष्मजीव भी उपयोगी है?

डा. पंकज श्रीवास्तव[1] एवं तोषी जैन[2]

1. डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग यूनिट, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (म.प्र.)
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

जन्म के पूर्व हमारा शरीर सामान्यतया सूक्ष्मजीव विहीन होता है परन्तु हमारे जन्म के कुछ ही समय में हमारे शरीर पर विविध प्रकार के सूक्ष्मजीवों का निवास स्थापित हो जाता है। जिस क्षण हम इस धरती पर जन्म लेते हैं सूक्ष्मजीव हमारे शरीर पर आवास स्थापित कर लेते हैं और फिर शरीर के प्रत्येक मिलीमीटर भाग पर इन सूक्ष्मजीवों का आवास होता है। हमारे धरती पर जन्म लेने का तरीका अलग होगा तो शरीर पर स्थापित होने वाले प्रथम सूक्ष्मजीवों में भी भिन्नता होगी। उदाहरण के लिए सामान्य रूप से अर्थात् योनि द्वार से जन्म लेने वाले बच्चे में उस बच्चे से भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का प्रथम आवास स्थापित होगा, जिनका जन्म शल्य क्रिया द्वारा हुआ है। इसी प्रकार घर में हुए प्रसव और चिकित्सालय में हुए प्रसव से हुए बच्चों में भी भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति देखी गई है।

जन्म उपरान्त बच्चे के शरीर पर उसके पर्यावरण, आस-पास और परिवार के सदस्यों से स्थानान्तरित सूक्ष्मजीव देखे जा सकते हैं। अब यह जाहिर सी बात है कि जब विविध सूक्ष्मजीव किसी स्थान पर होंगे तो उनमें जीवन के लिए संघर्ष भी होगा और इस संघर्ष में उस स्थान विशेष के लिए हर प्रकार से उपयुक्त जीव अपनी उपस्थिति उस स्थान पर स्थापित कर पायेंगे। यही कारण है कि शरीर के भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए हमारी शुष्क त्वचा जो हवा के संपर्क में होती है, पर भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और हमारे मुंह के अंदर जहाँ पर नमी है वहां भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी त्वचा के भिन्न-भिन्न स्थानों जो कि एक ही पर्यावरण के संपर्क में हैं, में भी भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति देखी गई हैं। उदाहरण के लिए हमारे गालों पर और उसके ठीक बगल में, नाक के कोनों पर भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का आवास होता है। जहां बच्चे के जन्म के समय उसका सूक्ष्मजीव संगठन उसकी मां से मिलता है परंतु समय के साथ साथ उसमें कमी आती जाती है और पिता के संपर्क के कारण पिता का सूक्ष्मजीवीय संगठन भी बच्चे में दिखाई देता है।

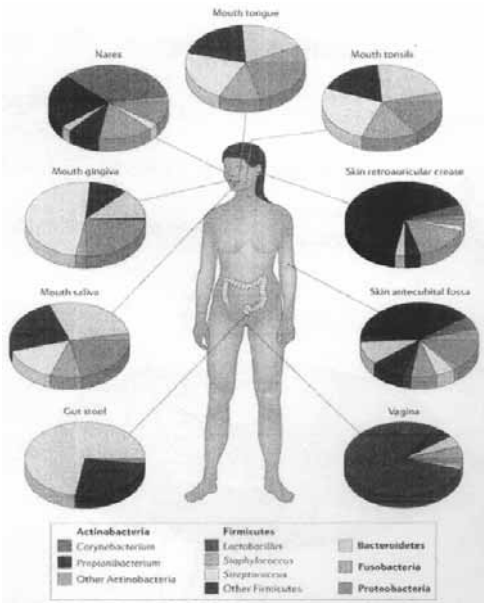

स्रोत: नेचर पत्रिका (http://www.nature.com/nrg/journal/v15/n9/box/nrg3785_BX1.html)

शरीर के भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति और विविधता

बच्चे के माइक्रोबायोम को प्रभावित करने वाले कारक

जोशुआ लीडरवर्ग ने 2001 में सर्वप्रथम ''ह्यूमन माइक्रोबायोम'' (Human Microbiome) शब्द की परिकल्पना और परिभाषा दी थी। ''ह्यूमन माइक्रोबायोम'' शब्द से अभिप्राय है - मानव शरीर का सूक्ष्मजीव एवं जीनीय कैटेलाग या विवरण। ''ह्यूमन माइक्रोबायोम'' को ह्यूमन माइक्रोबायोटा से भिन्न माना जाता है। ह्यूमन माइक्रोबायोटा से अभिप्राय है मानव से संबंधित सूक्ष्मजीव। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि हमारे शरीर में कुल 90 प्रतिशत सूक्ष्मजीवों का जीनोम होता है और केवल 10 प्रतिशत मनुष्यों का।

आज के समय का सर्वाधिक चर्चित विषय माइक्रोबायोम पर देश विदेश के लगभग सभी प्रमुख सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों/प्रयोगशालाओं की नजर है और मानव शरीर और उनके साथ वर्षों से साथ रह रहे सूक्ष्मजीवों से जुड़े अबूझ रहस्यों को स्पष्ट करने हेतु शोध जारी है। सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक एन्टोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन् 1680 के दशक में मुंह और मल में पाए जाने वाले विविध सूक्ष्मजीवों को रेखांकित किया था। और साथ ही यह भी संभावना बताई थी कि इन दो विविध स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव न सिर्फ संरचना में अलग है अपितु मानव स्वास्थ्य और बीमारियों से भी जुड़े हुए है।

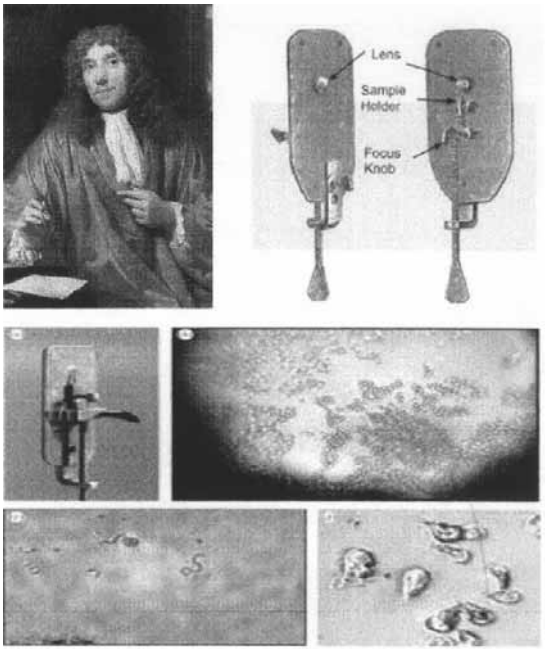

एन्टोनीवान ल्यूवेनहॉक, उनका 1680 के दशक में विकसित सूक्ष्मदर्शी और उनके द्वारा देखे गये सूक्ष्मजीव

अभिप्राय यह है कि मानव शरीर के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का अध्ययन या यह विषय उतना ही पुराना है जितना कि सूक्ष्मजीव

विज्ञान विषय। अब आप यह सोच सकते हैं कि जब विषय इतना पुराना है तो इसमें नया क्या है? विषय में नयी हैं तकनीकें जिन्होंने इस अध्ययन की संभावना को नये आयाम दिये हैं। आज सूक्ष्मजीवों की विविधता को देखे जाने के लिए आण्विक तकनीकें (Molecular Techniques) उपलब्ध है।

जीवाणुओं के उपयोग की तकनीक

जीवाणुओं के किसी भी श्रोत से प्राप्त करने की सामान्य तकनीक है संवर्धन की। इस तकनीक में किसी भी सतह या माध्यम से प्राप्त जीवाणुओं को निर्जमित उचित माध्यम (सवंर्धन माध्यम) पर समुचित तापमान (सामान्यता 37^0C) पर वृद्धि करायी जाती है। वृद्धि के उपरान्त जीवाणुओं के प्योर कल्चर (सिर्फ एक ही प्रकार के जीवाणु) तैयार किये जाते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त जीवाणुओं की जैव रासायनिक परीक्षण एवं 16sRNA सिक्वेन्सिंग द्वारा पहचान सुनिश्चित की जाती है। यह कार्य वर्तमान समय में DNA प्रयोगशालाओं में उपलब्ध जीन सिक्वेन्सर के द्वारा किया जा सकता है। 16sRNA एक ऐसा मार्कर है, जिसमें विभिन्न सूक्ष्मजीव प्रजातियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और इसे जीवाणुओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम जीवाणु के प्योर कल्चर से DNA प्राप्त किया जाता है। इस DNA को 16sRNA के प्राइमर के साथ पी.सी.आर. (पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन) किया जाता है। पी.सी.आर. को ''मालीक्युलर जीराक्सिंग'' तकनीक भी कहा जाता है। यह तकनीक किसी DNA अणु की अनेक प्रतियां बनाने में सक्षम है। अब PCR उपरान्त प्राप्त प्रोडक्ट को पुनः प्युरीफिकेशन (पोस्ट पी.सी.आर. प्युरीफिकेशन) करने के पश्चात् सिक्वेंसिंग किया जाता है और अब प्राप्त सिक्वेंस को प्रोसेसिंग उपरान्त NCBI डाटाबेस के साथ ब्लास्ट कर जीवाणु की पहचान सुनिश्चित की जाती है।

पिछले दशक से उपलब्ध नेक्स्ट जेनरेशन सिक्वेंसिंग तकनीक इस कार्य हेतु और अधिक उपयोगी और अधिक स्पष्ट परिणाम देने वाली है। इस तकनीक में किसी सतह या माध्यम की पोछंन लेकर उससे सीधे DNA प्राप्त किया जाता है। अब इस DNA को 16sRNA के प्राइमर एवं ऐसे कुछ रसायनों

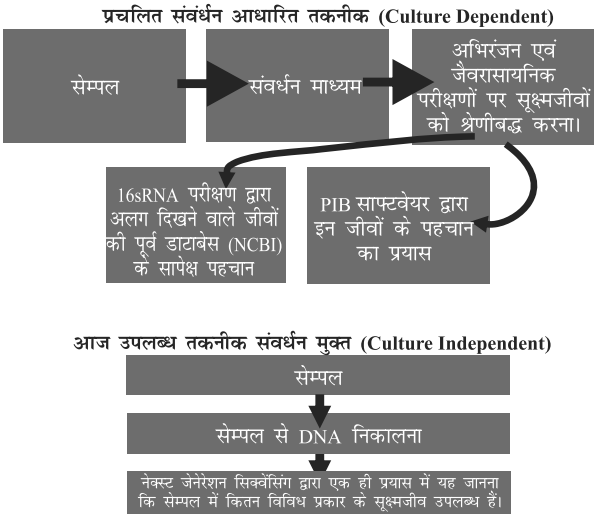

के साथ पी.सी.आर. किया जाता है कि इस DNA मिश्रण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु DNA की अलग-अलग प्रतियां बन जाती हैं। और इस पी.सी.आर. प्रोडक्ट को नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसर पर चलाकर यह जाना जा सकता है कि मिश्रण में कितने प्रकार के जीवाणु हैं और इन जीवाणुओं की कितनी-कितनी संख्या मिश्रण में उपलब्ध है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान की अपराध अन्वेषण में सार्थकता

डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक अपराध अन्वेषण की एक स्थापित तकनीक है। एलेक जैफरी द्वारा सन् 1985 में खोजी गई इस तकनीक का प्रयोग आज सफलता पूर्वक विवादास्पद पितृत्व निर्धारण के प्रकरणों में, पिता की पहचान सुनिश्चित करने में एवं बलात्कार के प्रकरणों में अपराधी की पहचान सुनिश्चित करने में किया जाता है। इस तकनीक में सूक्ष्मजीव विज्ञान का प्रयोग भी कारगर सिद्ध हो सकता है। किसी व्यक्ति की अंगुलियों पर पाए जाने जीवाणुओं को क्या उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है?

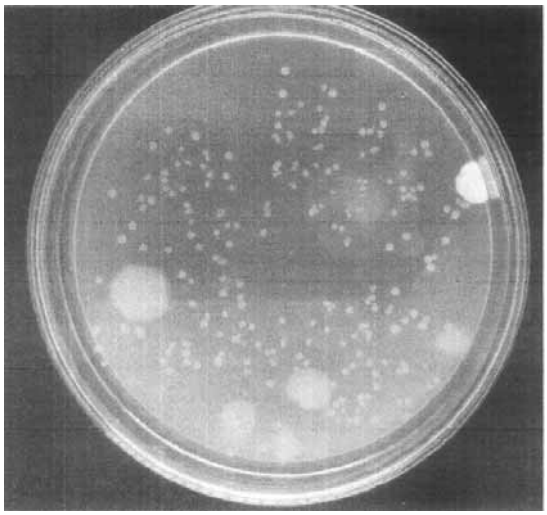

साबुन से धुले हमारे हाथ में उपस्थिति जीवाणु (निर्जमित संवर्धन माध्यम पर)

दूसरे शब्दों में सूक्ष्मजीव विज्ञानी पहलू से यह साबित किया जा सकता है कि अमुक लैपटाप किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया है या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है कि जिस प्रकार बच्चे की पहचान उसके माता-पिता से डी.एन.ए. तकनीक द्वारा सुनिश्चित की जा सकती हैं, वैसे ही क्या जैविक संबंधियों का सूक्ष्मजीवीय संगठन कुछ समानता स्पष्ट करता है और इसी प्रकार क्या वो व्यक्ति जो आपस में संबंधी नहीं हैं उनमें इसी प्रकार सूक्ष्मजीवीय असमानता सिद्ध की जा सकती है। अभी तक किये गये परीक्षण परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी शरीर में हमारे साथ रहने वाले ये सूक्ष्मजीव अपराध अन्वेषण में भी कारगर हैं।

पुलिस द्वारा इस तकनीक के उपयोग की संभावनाएं

बलात्कार के प्रकरणों में वेजाइनल द्रव की पुष्टि सुनिश्चित किया जाना कई बार आवश्यक हो जाता है। DNA के वर्तमान फिंगर प्रिंट पद्धति द्वारा किसी सतह, कपड़े या अंग पर शारीरिक द्रव्य होने की पुष्टि तो की जा सकती है, परन्तु उस शारीरिक द्रव्य के स्रोत की पहचान वर्तमान DNA प्रोफाइलिंग तकनीक से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस हेतु कुछ वैज्ञानिकों द्वारा mRNA प्रोफाइलिंग के उपयोग का सुझाव दिया था जिससे ऊतकीय विभिन्नता के आधार पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शारीरिक द्रव्यों की पहचान की जा सकती है परन्तु यह तकनीक प्रचलन में नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्मजीवों के एक समूह

(जीवाणुओं) का प्रयोग भी इस कार्य के लिए बताया गया है। महिलाओं की योनि को स्वस्थ बनाये रखने के लिए उस स्थान पर लेक्टाबैसीलस प्रजाति के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोजन पराक्साइड, बैक्टीरियोसिन एवं अन्य कई प्रकार के प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं जिसके कारण नमी होने के बाद भी योनि रोगकारक जीवाणुओं के संक्रमण से मुक्त रहती है। योनिश्राव के सूक्ष्मजीवीय विन्यास के अध्ययन से यह बात प्रमाणित होती है कि योनि में लेक्टाबैसीलस समूह के जीवाणुओं की चार प्रजातियां प्रमुखता से पाई जाती है। ये हैं *लेक्टोबैसीलस क्रिसपेटस, लेक्टोबैसीलस गासेरी, लेक्टोबैसीलस इर्नस* एवं *लेक्टोबैसीलस जेनसेनाई।* यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि *लेक्टोबैसीलस* समूह के जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां पर्यावरण में, दही में, लार में भी पाई जाती है। परन्तु वर्तमान शोध ये प्रमाणित करते हैं कि कुछ *लेक्टोबैसीलस* प्रजातियों के समूह को योनिश्राव की पहचान सुनिश्चित करने में उपयोग में लाया जा सकता है।

वर्तमान में नेक्स्ट जेनरेशन सिक्वेंसिंग तकनीक के आ जाने से पुलिस अनुसंधान में माइक्रोबायोम के अपराध अन्वेषण में उपयोग की संभावनाओं को और विस्तार मिला है। अनुसंधान से विभिन्न स्थानों से प्राप्त (टैक्सी, विभिन्न व्यक्तियों के कपड़ों, किसी व्यक्ति की त्वचा की सतह पर उपस्थित) जीवाणुओं में काफी विविधता देखी गई है, जिस पुलिस अनुसंधान में उपयोग की काफी संभावनाएं दिखाई देती है। शारीरिक द्रव की सूक्ष्मजीवीय पहचान के साथ अन्य व्यक्तिगत उपयोग के समान जैसे पेन, लैपटाप के जीवाणुवीय विन्यास को भी किसी व्यक्ति विशेष से संबद्धता सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। लेखक के स्वयं के अध्ययन से भी इस तथ्य की प्रामाणिकता दिखाई दे रही है कि यदि कोई व्यक्तिगत लेपटाप, पेन या अन्य कोई व्यक्तिगत सामग्री जिसे कोई व्यक्ति उपयोग में ला रहा है तो उससे किसी व्यक्ति विशेष की संबद्धता सुनिश्चित करने के उपयोग में लाया जा सकता है। माइक्रोबायोम के पुलिस अनुसंधान में प्रयोग की अपार संभावनाएं दिखाई देती है। आवश्यकता है सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों के इस कार्य में सक्रिय योगदान की जिससे इस क्षेत्र की सार्थकता सिद्ध हो सके और माइक्रोबायोम पुलिस अनुसंधान एवं अपराध अन्वेषण में उपयोगी बन सके।

सामाजिक कुरीतियां और पुलिस की भूमिका

प्रो. विमला उपाध्याय
डी.लिट्., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र
वृन्दावन, राजेन्द्रपथ, धनबाद-826001, झारखंड

अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना जो रह सकता है, वह देवता है या है शैतान। मनुष्य जिस समाज में रहता है, उसकी कुछ परंपरा है। उसके रीति-रिवाज, धर्म, संस्कार, पर्व त्यौहार है। कुछ रीतियां हैं, तो कुछ रूढ़ियाँ हैं। रीति का अर्थ है परंपरा लोक व्यवहार। उदाहरण स्वरूप लड़कियां दूसरे के घर जाती हैं विवाह कर। उनके साथ दान, दहेज, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण होना चाहिए। चाहे पिता कर्ज में डूब जाए या आत्महत्या के लिए विवश हो जाए। काल प्रवाह में यही दहेज दानव बन गया और कितने माता-पिता को चपेट में लेकर चंपत हो गया।

दहेज प्रथा और पुलिस

हाल का नजरिया यह है कि प्रत्येक पिता अपने परिवार, आसपास बेटे के दहेज-धन की तख्ती लटकाए फिरता है। जो दाम लगाए, जो अधिक धन दे, वही लड़का ले जाए। ऐसी अवस्था में ये परिस्थितियां पैदा होती हैं:

(क) लेने के फेर में लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिल पाता।

(ख) दहेज दानव की विकरालता के आगे सारे मान-सम्मान, पद, ओहदे व्यर्थ हो जाते हैं।

(ग) समुचित चुनाव नहीं हो पाता है। फलतः दाम्पत्य जीवन में कलह, अशांति, कटुता का विष घुलता रहता है। पूरा जीवन समझौते पर चलता है।

(घ) समुचित वर या कन्या के चुनाव के अभाव में विवश होकर लड़के और लड़कियां अपने मित्र से विवाह कर लेते हैं, भले ही वे गैर धार्मिक और गैर जाति के हों। इससे माता-पिता से उनका संबंध मधुर नहीं रह जाता है।

(ड़) बहुत कलह, दबाव, विवशता में आकर लड़के-लड़की आत्महत्या को भी विवश हो जाते हैं। फलतः परिवार में अंधकार छा जाता है। निराशा भर जाती है।

पुलिस चाहे, तो इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। माता-पिता को मना सकती है। उस पर कानूनी दबाव डाल सकती है कि बालिग को यह स्वतंत्रता संविधान ने दी है कि वह स्वेच्छा से विवाह रचाए किसी जाति, वर्ण, संप्रदाय और धर्मावलंबी के परिवार में। पुलिस और सक्रिय सकारात्मक हो, तो एक दो दहेज पिशाचों को जेल की हवा भी खिला सकती है कि शेष को सबक मिले। दहेजलोभी माता-पिता भी सावधान हो जाएं।

घटना 2011 के मार्च की है। मेरे पड़ोस में एक लड़का इंजीनियर था भोपाल में। वह अपने गांव की एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की पास के शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी। लड़का ब्राह्मण, लड़की कायस्थ। पिता कट्टर ब्राह्मण, पूजा पाठ नित्य करने वाले। उन्हें भनक लगी इसकी, तो वह बौखला उठे। पुत्र को हिदायत पर हिदायत, डांट-फटकार सब मिली। पर पुत्र तो मजनूं बना था। लैला के बिना उसका सांस लेना दूभर था। गर्मी की छुट्टी में एक दिन शुभ दिन, शुभ मुहूर्त जान दोनों थाने चले गए और अपनी

समस्या पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी। वह बड़े कर्मठ और न्यायप्रिय थे। स्वयं खरीदवाकर दो मालाएं मंगवाई, उन्होंने परस्पर मालाएं पहनाई। वहीं सिंदूर दान भी हो गया। पिता हाथ मलते रह गए। कारवां गुजर गया। गुबार देखते रहे। वे खड़े-खड़े बहार देखते रहे।

तात्पर्य यह है कि पुलिस की सक्रियता, कर्मठता, तत्परता से ऐसे प्रेमी मिल सकते हैं और दहेजप्रेमियों को करारा जवाब दे सकते हैं।

बाल विवाह, बेमेल विवाह की रोकथाम में पुलिस की भूमिका

मैंने स्वयं देखा है ऐसे परिवार को, जो गर्भस्थ शिशु के कन्या होने की उम्मीद में ही दहेज, अधेड़ से रुपए लेने लगते हैं। लड़की हो गई, तो सात-आठ वर्ष में ही उसका विवाह कर दिया गया। लड़की के लालन-पालन के खर्च से मुक्ति ऊपर से आमदनी। पुलिस चाहे तो, ऐसे बेटी बेचवाओं को गिरफ्तार कर जेल की काल कोठरी में बंद कर सकती है। गांव के मुखिए, सरपंच, चौकीदार, ग्रामसेवक से यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है।

सोनोग्राफी से भ्रूण-परीक्षण और पुलिस

दहेज की सुरक्षा जैसे-जैसे अपना मुंह खोलती जाती है, वैसे-वैसे दहेज देने में असमर्थ माता-पिता लिंग परीक्षण और कन्याभ्रूण की हत्या के लिए आमादा होते जाते हैं। फलतः नारी जाति की संख्या कम होती जाती है। आखिर लड़के विवाह तो लड़की से ही करेंगे। फिर लड़कियां कहां से आयेंगी। अतएव, पुलिस का कर्तव्य है कि ऐसे सोनोग्राफी क्लिनिक तत्काल बंद कराएं और उनके संचालकों को कारागार के घुप्प अंधकार में बिलबिलाने के लिए छोड़ दिया जाए।

डायन, जोगिन का आतंक और पुलिस का दायित्व

भारत का कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसके वासिंदों को डायन, जोगिन पर भरोसा नहीं है। किसी का बीमार होकर लड़का मर गया या लड़की मर गई उसकी। यह तो उसकी उम्र थी, जो विधाता ने लिख दिया है। पर लोग (ग्रामवासी) मानते हैं कि यह गांव की डायन ने कर दिया। उसी के मंत्र से हुई इसकी मृत्यु। ऐसी डायन विधवा होती है। अनपढ़, गंवार होती है। ज्यादातर सामान्य परिवार की होती है। कहा जाता है कि उसके मंत्र प्रयोग से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सच्चाई होती इस तथ्य में तो बड़े-बड़े महायुद्ध डायनों के मंत्र प्रयोग से आसानी से जीते जा सकते थे। शत्रु डायन के प्रकोप से वश में लाए जा सकते थे।

ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। स्पष्ट है कि गांव का पिछड़ापन नहीं गया है। जादू, टोना, टोटका पर उन्हें आज भी भरोसा है। यह गांव का दुर्भाग्य है।

पुलिस का कर्तव्य है कि वह ऐसे गांवों का दौरा करे। उपेक्षित, कलंकित, अपराधी मानी जाने वाली तथाकथित डायन को कानूनी संरक्षण दे। उनके अभिभावकों को खबरदार कर दे कि यदि कोई उनके आश्रितों पर डायन, जोगिन होने का आरोप लगाए तो वह सीधे पुलिस के पास जाए। वह उसके संरक्षण के लिए सदा तत्पर रहेगी। दोषी को उचित दंड दिया जायेगा।

बाल विकास की संभावनाएं और पुलिस

सुगिया, झगड़ी और चिलरी। उम्र क्रमशः दस, नौ और ग्यारह। स्कूल जाती हैं रोज, नियमित समय पर। कारण, हाजिरी न लगे, तो दोपहर का भोजन कैसे मिलेगा फिर प्रार्थना समाप्त - ''हे प्रभो! आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। कर प्रभु सारे दुःखों से दूर हम को कीजिए'' प्रभु सारे दुःखों से भला दूर कैसे कर पायेंगे, पर दोपहर का भोजन सुनिश्चित है। फिर हाजिरी लगाते ही वे दौड़ पड़ती हैं खेतों, खलिहानों की ओर। गोबर, लकड़ी का टुकड़ा खरपतवार जमा करने ताकि जल पाएं उनके घरों के चूल्हे। फिर आकर वे पाती हैं भोजन भरपेट, जीभर कर। तब मन अलसा जाता है। पढ़ने में रुचि कहां लगनी है। छुट्टी की घंटी बजी कि वे सरपट अपने घर दौड़ जाती हैं। कारण वहां अनेक काम पड़े हैं इनके भरोसे यथा, मवेशी को चारा डालना, बच्चों को संभालना, रसोई में मां की मदद करना तब ये बेचारी लड़कियां इतनी थक जाती हैं कि पढ़-लिख नहीं पातीं। न स्कूल का सपना पूरा कर पाती हैं और ऐसे ही बच्चों में देश के विकास का स्वप्न पलेगा भला - यह प्रश्न कौंधता रहता है। माना जाए कि सबका कारण है गरीबी। गरीबी कहीं भी हो, सर्वत्र वह विकास की बाधिका होती है। नोवेल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेन ने अपनी कृति 'एशियन ड्रामा' (Asian Drama) में लिखा है: ''Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere:''

सरकारी योजना और पुलिस

परंतु पुलिस के पास इस गरीबी से निपटने का भी प्रावधान है। वह जानती है - कन्या रक्षण योजना, वृद्ध पेंशन योजना, काम के बदले अनाज योजना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को दो रुपए प्रतिकिलो चावल मिलना। 20-25 किलो प्रतिमाह। महीने में बीस दिन रोजगार मुहैया कराना आदि आदि। परंतु इस सरकारी धन का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, यह पुलिस स्वयं देख रही है। चावल वितरक के पास ही व्यापारी खड़ा रहता है और बाजार से काफी कम कीमत पर गरीबों से चावल खरीद लेता है। सभी मजदूरों का कार्ड ठेकेदार रखता है नियमानुकूल न काम देता है, न मजदूरी। चार-पांच दिनों की मजदूरी देकर पच्चीस दिनों की हाजिरी दिखाकर सारी रकम हड़प कर जाता है। जनता तो निरपेक्ष है, मूकदर्शक है। यही उसकी दुर्दशा, पराजय का कारण है।

परंतु पुलिस जनता की सेवक है। कानून-संरक्षण और न्याय व्यवस्था में उसकी सक्रिय भागेदारी है। उसकी उदासीनता सरकारी योजनाओं पर प्रश्नचिन्ह लगा देती है। काश, इसे वह समझ पाती। हर प्रशासक, सेवक, सरकारी मुलाजिम का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में मदद करे।

बस एक बार वह औचक निरीक्षण कर ले जन वितरण वाली दुकान के पास लगी भीड़ का या फिर गैस सिलिंडर पाने वाले उपभोक्ता की कालाबाजारी का। उसका दबदबा, आतंक, उग्ररूप सारे कुहासे को फाड़ देगा। सूर्य के उदय होते ही कैसे अंधकार दुम दबाकर भाग खड़ा होता है, वैसे ही पुलिस का प्रताप सारे अनय, अनीति का अंधकार फाड़ेगा और न्याय नीति की लता लहलही होगी। बुरे उतने ताकतवर नहीं होते जितने अच्छे कमजोर होते हैं। अच्छों की कमजोरी ही बुरों की ताकत बन जाती है। वह फिर खुलकर शोषण करते हैं।

कर्ज का दुष्चक्र और पुलिस का दायित्व

गांव और शहर, दोनों स्थानों के लोग, ऐसा बजट (परिवार का) नहीं बना पाते हैं कि उन्हें कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़े। अर्थशास्त्री नानावती और अंजारिया का मानना है कि विशेषकर ग्रामीण कर्ज लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कर्ज से ही उनका लालन-पालन, विवाह होता है। फिर श्मशान यात्रा में कर्ज लेकर ही दाह संस्कार किया जाता है। सरकार की ओर से सहयोगी समितियां हैं। बैंक है, जो उन्हें उचित सूद पर ऋण मुहैया करा पाए। परंतु जानकारी के अभाव में (कारण निरक्षरता, पिछड़ापन, महाजन की शेष राशि) वे ऐसा नहीं कर पाते। फलतः महाजनों के चंगुल में पीढ़ी-दर-पीढ़ी शोषित होती रहती है।

पुलिस चाहे, तो बीच-बीच में ग्राम सभा आयोजित करे। वहां सहयोगी समिति के बैंक के अधिकारी भी आएं। जनता इसमें खुलकर भाग ले। उन्हें ऋण देने, सूद की दर, उसकी वसूली आदि की पूरी जानकारी दी जाए। समुचित दस्तावेजों के आधार पर कम सूद पर उन्हें धन दिलवाया जाए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। महाजनी सभ्यता के दुश्चक्र से निजात मिलेगा। प्रेमचन्द (प्रसिद्ध उपन्यासकार, जैसे कहानीकार आजीवन इस महाजनी सभ्यता के खिलाफ लड़ते रहे। पुलिस चाहे तो प्रेमचंद के सपनों को साकार कर दे।

समापन कथनः

पुलिस के पास वह शक्ति, दमखम है कि वह सामाजिक समस्याओं की जड़ में जा सकती है यथा महिला का पुनर्वास, पुर्नस्थापन, विधवा-विवाह, परित्यक्ता-विवाह, ग्रामीण मेले का आयोजन (जिसमें सभी उपयोगी सामान सस्ते दाम में उपलब्ध होंगे। मनोरंजन का भरपूर आयोजन होगा यथा कठपुतली नाच, यात्रा, नाटक, कीर्तन-भजन आदि आदि। प्रदर्शनी लगवाकर भी ज्ञानवर्धन, मनोरंजन के अवसर लाए जा सकते हैं। जरूरी सामान खरीदे जा सकते हैं।

पुलिस सरकार और जनता के सहयोग समन्वय से कई सामाजिक कुरीतियां दूर हो सकती हैं। सहयोग सद्भावना के फूल खिल सकते हैं। विशेषकर हाशिए पर पड़ी जनता का कल्याण हो सकता है। कहना भर नहीं, करना भी हैः

क्यों कहें जब कर दिखाएं तब कहें
कर दिखाएं बंधु तब भी चुप रहें।

उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उत्पीड़नशास्त्र

डा. मीरा सिंह
समाजशास्त्र विभाग
आगरा कालेज, आगरा

अपराधिक कानून, कानून प्रवर्तन, न्यायालय की कार्य प्रणालियाँ तथा न्याय का प्रशासन प्राय: मात्र अपराधिक कृत्य के कर्ता पर ही केन्द्रित होता है। जब किसी अपराध के संदर्भ में पुलिस को सूचना दी जाती है वे अपराधकर्ता की तलाश करना प्रारम्भ कर देती है। वे अपराधकर्ता अथवा संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस अपराधकर्ता की खोज के संदर्भ में उत्पीड़ित व्यक्तियों की खोज करती है। अपराधकर्ता की खोज कर उसके आपराधिक कृत्य के संदर्भ में अपना मत देते हुये न्यायालय को उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए तथा आवश्यक दाण्डिक कार्यवाही हेतु सूचना प्रदान करती है। उत्पीड़ित व्यक्ति अपराधी व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों के संदर्भ में राज्य के लिये साक्षी के रूप में प्रस्तुत होता है। अपराधी-व्यक्ति न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष होने पर अपराधी घोषित किया जा सकता है और दाण्डिक संस्थाओं जैसे कारागार में भेजा सकता है। न्यायालय द्वारा उसे उसकी अपराध की गंभीरता के अनुसार ही दण्डित किया जाता है। न्यायालय द्वारा उसे अर्थदण्ड भी दिया जा सकता है अथवा परिवीक्षा पर छोड़ा भी जा सकता है। अपराधिक व्यक्तियों के बारे में न्यायालय द्वारा सांख्यिकी रखते हैं गिरफ्तारी की सांख्यिकी पुलिस द्वारा रखी जाती है और दाण्डिक संस्थाओं द्वारा अपराधियों की मुक्ति की सांख्यिकी रखी जाती है। नि:सन्देह, अधिकांश आपराधिक कृत्यों के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पाती है क्योंकि सम्पन्न राजनीतिक एवं उच्चस्थ व्यक्तियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं होती। राजनीति के गन्दे खेल में सम्मिलित अखाड़ियों, गुण्डों, बदमाशों, लुटेरों और डाकुओं के बल पर जघन्य से जघन्य अपराध करते कराते हैं और लोकतंत्र के नाम पर कलंक लगाते हैं, किन्तु उनके आपराधिक कृत्यों के प्रति समाज की आंखें बन्द रहती हैं। एक जर्मन अपराधशास्त्र हेनरी एलेनबर्गर ने कहा था कि ''अपराधी एवं उत्पीड़ित व्यक्ति के बीच के सम्बन्धों की समस्या पर अभी बहुत कुछ कहना है और अभी बहुत कुछ अन्वेषित करना है। यह नवीन क्षेत्र है, जिसका एक विशाल क्षेत्र सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्व का है।'' ''अपराधी-उत्पीड़ित व्यक्ति के विचार को इसके उचित स्थान में रखने की आवश्यकता है''।

अन्य देशों की भांति भारत में भी आपराधिक कृत्यों की संख्या सुरसा के मुंह समान बढ़ती जा रही है। इसलिए समाज में उत्पीड़ित व्यक्तियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। समाज में अपराधियों के प्रति लोगों की सामान्यत: नकारात्मक दृष्टि होती है, जबकि उत्पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि होती है। आपराधिक व्यक्तियों को घृणा व हेय की दृष्टि से देखा जाता है जबकि उत्पीड़ित व्यक्तियों को स्नेह व सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाता है। परन्तु उत्पीड़ित व्यक्ति भी कभी-कभी बहुत ही खतरनाक एवं अपराधी प्रवृति के व्यक्ति होते हैं और आपराधिक कृत्य के घटने में महनीय भूमिका

अदा करते हैं। अपने आपराधिक कृत्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक अपराधी सदैव दोषी या अपचारी ही नहीं होता, उसी प्रकार एक उत्पीड़ित व्यक्ति भी सदैव निर्दोष या अनाचारी नहीं होता।

रूमानिया के एक बैरिस्टर जिनका नाम मेन्डेलसोन (Mendelsohn) था जो बाद में इजरायल के निवासी हो गये थे, ने सर्वप्रथम उत्पीड़ितकर्ता सम्बन्ध (Victim-doerelationship) का अपराधशास्त्रीय साहचर्य प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने दाण्डिक युग्म (Penal Couple) कहकर सम्बोधित किया। मेन्डेलसोन के अनुसार उत्पीड़ित व्यक्ति की प्रतिशोध शक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में कम भी हो सकती है:-

1. अभियुक्त एवं उत्पीड़ित व्यक्ति के मध्य विद्यमान पारिवारिक, सत्तावादी या संस्तरणात्मक सम्बन्ध,
2. उत्पीड़ित व्यक्ति का ज्वालामुखीय स्वभाव, जो विवेक क्षमता को धुंधला बना दे,
3. उत्पीड़ित व्यक्ति का व्यभिचारी सामाजिक पर्यावरण,
4. उत्पीड़ित व्यक्ति की तुलना में अभियुक्त के सामाजिक, परिवेश की उच्चता,

उत्पीड़िनशास्त्र का सम्प्रत्यायात्मक विश्लेषण:-

अपराधशास्त्र में उत्पीड़ित व्यक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने में संदर्भ में अभी हाल में ज्ञान की एक नयी शाखा के रूप में उत्पीड़नशास्त्र (Victomology) का अन्वेषण हुआ है। ज्ञान की इस नयी शाखा के अन्तर्गत जहां एक ओर आपराधिक व्यक्ति एवं उत्पीड़ित व्यक्ति के अन्तर्सम्बन्धों एवं अन्तर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्पीड़ित व्यक्तियों एवं अपराधिक न्याय व्यवस्था, जैसे पुलिस, अदालत और दण्डात्मक या सुधारात्मक संस्थाओं तथा अन्य सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं के संयोजनों के अन्तर्सम्बन्धों एवं अन्तर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अन्तर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार क्षतिग्रस्त किया जाता है, उनको सताया जाता है, उन्हें गाली दी जाती है, उनसे चालाकी से मतलब सिद्ध किया जाता है, उन्हें सहयोजित किया जाता है एवं उन्हें नीचा दिखाया जाता है, इत्यादि। इस अनुशासन का एक दूसरा स्वरूप उस कौतुहल या जिज्ञासा से है कि उत्पीड़ितों को किस प्रकार सामर्थ्यवान-शक्तिमान बनाया जा सकता है, उन्हें किसी प्रकार पुनर्वासित किया जा सकता है, उन्हें किस प्रकार शिक्षित किया जा सकता है एवं आदर की दृष्टि से देखा जा सकता है।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलोजी के अनुसार उत्पीड़नशास्त्र अपराध से उत्पीड़ित व्यक्तियों का अध्ययन है। इसके अन्तर्गत अपराध के प्रतिमानों, घटना के स्थान, उत्पीड़ित व्यक्ति एवं अपराधी के बीच की विशेषताओं एवं सम्बन्धों तथा इसके समान पक्ष अन्तर्विष्ठ है। उत्पीड़नशास्त्र की विषय-वस्तु को निम्न तीन विस्तृत क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रथमत: अपराध के कारण के रूप में उत्पीड़नशास्त्र।
2. द्वितीयत: स्वार्थ समूह (Interest group) के रूप में उत्पीड़ित व्यक्तियों का विस्तार एवं
3. तृतीयत: उत्पीड़ित व्यक्तियों का न्याय परिप्रेक्ष्य।

अपराध की कारणता की व्याख्या के रूप में उत्पीड़नशास्त्र का सम्बन्ध अपराध में उत्पीड़ित व्यक्ति की सहभागिता के संघात अथवा अपराध-सम्पादन में उत्पीड़ित व्यक्ति की भूमिका से है। अन्य शब्दों में अपराध के घटन में उत्पीड़ित व्यक्ति प्रत्यक्षत: किस प्रकार सहयोग या मदद करता है, इसका प्रारम्भ उत्पीड़नशास्त्र करता है। इस प्रकार आपराधिक कारणता की व्याख्या करने में केवल अपराधी व्यक्ति के आचरण का आधार प्रस्तुत करने के बजाय स्वयं उत्पीड़ित व्यक्ति के आचरण पर ध्यान संकेन्द्रित करने से अपराध की कारणता की सम्यक व्याख्या की जा सकती है, ऐसी मान्यता है उत्पीड़नशास्त्र की।

उत्पीड़नशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अन्तर्गत यह दर्शाता है कि आपराधिक कृत्यों के घटन में उत्पीड़ित व्यक्ति के स्वार्थों का एक विस्तृत परिक्षेत्र है। इन स्वार्थों या हितों की वैधानिक एवं नैतिक तुष्टि का उत्पाद है अपराध। उत्पीड़नशास्त्र के तृतीय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों से सम्बद्ध न्याय परिप्रेक्ष्य को अन्तर्विष्ट किया गया है। इसके अन्तर्गत उत्पीड़ित न्याय के विधिशास्त्रीय आधारों को अन्तर्निहित किया जाता है। उत्पीड़ित न्याय के विधिशास्त्रीय आधारों पर उत्पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारिक आपराधिक न्याय व्यवस्था या इससे अधिकारियों या कार्यकर्ताओं से उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। उत्पीड़नशास्त्र के ये विषय क्षेत्र एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है। अपराध की कारणात्मक व्याख्या, उत्पीड़ित व्यक्तियों का स्वार्थ एवं न्याय-क्षेत्र ये तीनों ही उत्पीड़नशास्त्र की विषय-वस्तु है।

आपराधिक व्यवहार के जनन में उत्पीड़ित व्यक्तियों की भूमिका:-

क्या आपराधिक कृत्यों के घटन में उत्पीड़ित व्यक्तियों की भी भूमिका होती है? क्या उत्पीड़ित व्यक्ति के लिये प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उत्तेजित करता है? क्या उत्पीड़ित व्यक्ति का ज्वालामुखी स्वभाव किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिये या कानून का उल्लंघन करने की चुनौती देता है? डा. हन्स वॉन हेंटिंग ने सन् 1948 में अपनी पुस्तक **''दि क्रिमिनल एण्ड हिज विक्टिम''** में सर्वप्रथम इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आपराधिक कृत्यों के घटन में उत्पीड़ित व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न अपराधों में से दो प्रकार के अपराधों, विशेषकर बलात्कार (रेप) और नैतिकता के विरुद्ध अन्य अपराधों में कुछ अंशों तक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पायी जाती है।

सन् 1954 में डा. हेनरी एलेनबर्गर ने भी हन्सवांन हेंन्टिंग के उपर्युक्त मत का जोरदार समर्थन करते हुए अपराधी व्यक्ति और उत्पीड़ित व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सम्बन्धों के अपने अध्ययन में इस तथ्य को उदघाटित किया कि अपराधी और उत्पीड़ित व्यक्ति के बीच एक मनोवैज्ञानिक अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। अत: आपराधिक कृत्यों के घटन में न केवल अपराधी व्यक्ति ही दोषी होता है, बल्कि उत्पीड़ित व्यक्ति भी कभी-कभी समान रूप से उतना ही दोषी होता है। अत: सभी उत्पीड़ित व्यक्ति निर्दोष नहीं होते, उनमें से प्राय: अधिकांश दोषी होते हैं। शुल्ज ने सन् 1968 में अपनी रचना ''क्राइम एंड डेलिन्क्वेसी'' में इस सम्बन्ध में अपना उदगार व्यक्त

करते हुए लिखा है कि उत्पीड़ित और आक्रामक पद बहुधा परस्पर विनिमेय है तथा आपराधिक कारणों में अपराधी व्यक्ति की अपेक्षा उत्पीड़ित व्यक्ति की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुल्ज के अनुसार, एक उत्पीड़ित व्यक्ति आपराधिक व्यक्ति को अपराध करने के लिये निम्नलिखित रूप से अभिप्रेरित करता है-

1. अपराधी में प्रत्यक्षतः उत्तेजन तथा विरोधात्मक प्रतिक्रिया की सृष्टि करना-

अवलोकनों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रायः उत्पीड़ित व्यक्ति स्वयं स्वतन्त्र रूप में अपराधी व्यक्ति के आगे आता है और अपनी विरोधात्मक प्रतिक्रियाओं की चिंगारियों से अपराधी व्यक्ति को बेधित करता है। ये विरोधाात्मक प्रतिक्रियाओं की चिंगारियां अपराधी व्यक्ति को अपराध करने की प्रेरणा प्रदान करने में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। उदाहरणस्वरूप, दो व्यक्तियों में उत्तेजित वाद-विवाद के बीच यदि एक निहत्था व्यक्ति दूसरे के हाथ में किसी जानलेवा अस्त्र-शस्त्र को देखकर भी ओजस्वी शब्दों में यह कहे कि ''यदि अपनी मां का दूध पीये हो तो इससे मुझ पर प्रहार करो'' और यदि इस चुनौती को स्वीकार करके दूसरा व्यक्ति वास्तव में अपने अस्त्र-शस्त्र से चुनौती देने वाले व्यक्ति पर प्रहार कर देता है तब इसे उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपराधी को प्रत्यक्ष उत्तेजित करना ही कहा जायेगा।

2. किसी दूसरे व्यक्ति को परोक्ष रूप से अपराध करने के लिए उत्तेजित करना-

यह कि कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्तेजित करे। कभी-कभी परोक्ष रूप से भी किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिये उत्तेजित किया जा सकता है। यथा, यदि कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपनी विरोधात्मक भावनाओं का उद्रेक किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति रोषयुक्त सबल भाषा में करता है तो निश्चित रूप से वह उस सशक्त व्यक्ति को अपराध करने का आमंत्रण देता है। कहा भी गया है कि **''अति संर्घषण करे जो कोई अनल प्रकट चन्दन ते होई।''** परोक्ष रूप से किसी सशक्त व्यक्ति के विरोध में अपनी धाक या कीर्तिगाथाओं या गौरव पराक्रम तथा अपने विरोधी पक्ष की कटु या घोर भर्त्सना एवं आलोचनात्मक शब्दावली का प्रयोग करना जंग का वातावरण उत्पन्न करना है।

3. सामान्य निरोधात्मक उपायों की उपेक्षा करना-

किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य निरोधक उपायों की अवज्ञा करने से भी किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने का सुअवसर मिलता है। उदाहरणस्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अपने साइकिल या स्कूल या कार बिना ताला लगाये हुए किसी सार्वजनिक स्थल पर खुला छोड़कर अन्य कार्यों के सम्पादन में लग जाये तो ऐसी स्थिति में किसी चोर को उसकी चोरी करने का अवश्य ही एक अच्छा मौका मिलेगा।

4. संवेगात्मक रूप से व्याधिग्रस्त व्यक्ति को उत्तेजित कर अपराधोत्पादन की प्रेरणा देना-

संवेगात्मक रूप से व्याधिग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भावोत्तेजक

भावों से ग्रस्त कर आपराधजनित कृत्य करने के लिये सहज ही में बाध्य किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों को मात्र चिढ़ाने, छेड़ने, तंग करने या परेशान करने वाले व्यक्ति को आहत होना पड़ता है। नि:संदेह भावात्मक रूप से मनोविकृत व्यक्ति को छेड़ने मात्र से अपराध करने के प्रबल मनोवेगों से स्पष्ट दर्शन किये जा सकते हैं।

उत्पीड़ित व्यक्तियों के प्रकार-

वॉन हेंन्टिंग के अवलोकनों के आधार पर स्थूलत: हम उत्पीड़ित व्यक्तियों के पांच प्रकारों का उल्लेख कर सकते हैं।

1. **उदासीन या अकर्मण्य उत्पीड़ित व्यक्ति**- उत्पीड़ित व्यक्तियों की इस श्रेणी के अन्तर्गत उन क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को अन्तर्विष्ट किया जा सकता है जिन पर किसी प्रकार की हानि-लाभ की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। वे ऐसे वीतरागी, नि:स्पृह, हृदयहीन, भावनाहीन या मुर्दा दिल होते हैं। जो स्वयं अपनी हानि की परवाह नहीं करते हैं।

2. **आत्मसमर्पणशील उत्पीड़ित व्यक्ति**- उत्पीड़ित व्यक्तियों की इस कोटि के अन्तर्गत उन क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को समाविष्ट किया जा सकता है जिसकी क्षति उसकी स्वयं की सहभावी प्रयासों के कारण होती है।

3. **सहयोगी उत्पीड़ित व्यक्ति** - ये वे क्षतिग्रस्त होते हैं जिनकी क्षति अधिक लाभ के लालच के कारण होती है।

4. **उत्तेजक उत्पीड़ित व्यक्ति**- इस प्रकार के उत्पीड़ित व्यक्ति वे क्षतिग्रस्त व्यक्ति होते हैं जो अपराध करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं।

5. **मनोविकृत उत्पीड़ित व्यक्ति** - इस श्रेणी में आने वाले क्षतिग्रस्त व्यक्ति संवेगात्मक या भावनात्मक रूप से असामान्य रहते हैं। मनोविकृत व्यक्ति में जो दोष पाये जाते हैं वे हैं अपने व्यवहारों के प्रति आसक्ति, अपने बन्धु, बान्धवों के अन्य मित्रों के प्रति प्रेम भाव, हिंसात्मक उत्तेजना तथा तत्क्षण आवेगों की सन्तुष्टि। ये दोष प्राय: सभी मनोविकृत उत्पीड़ित व्यक्तियों में पाये जाते हैं।

उत्पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति:-

उत्पीड़नशास्त्र का एक बहुत भिन्न पक्ष तब उभरकर आता है जब अपराधी व्यवहार के अध्ययन में उत्पीड़ित व्यक्ति की भूमिका पर ध्यान केन्द्रीभूत करने के बजाए अपराधों से उत्पन्न परिणामों जैसे धन सम्बन्धी हानि, शारीरिक क्षति और मृत्यु के लिये उत्पीड़ित व्यक्तियों और उनके आश्रितों हेतु क्षतिपूर्ति या हर्जाना देने की बात पर ध्यान संकेन्द्रित किया जाता है। अधिकांश विकसित देशों ने इस संदर्भ में विविध प्रकार के वैधानिक क्रियाविधियों को क्रियान्वित किया है जिनके द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति अपराधी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है तथा हर्जाना का संग्रहण कर सकता है। परन्तु अपराधी के पास उत्पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति या हर्जाना देने के लिए कम साधन या सम्पत्ति होती है।

दण्ड के इतिहास का अध्ययन करने से सुस्पष्ट होता है कि प्रताड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को क्षतिमूल्य देने की परम्परा आदिम समाजों तथा प्राचीन राज्यों में सर्वत्र दिखायी देती है। तथापि राज्यों के पास अपराधियों को दण्ड देने का विशिष्ट अधिकार होता है और यह कार्य वह न्यायालयों द्वारा अपराध एवं दण्ड की गंभीरता के अनुसार क्रियान्वित करवाता है। न्यायालय उत्पीड़ित व्यक्ति को सन्तुष्टि प्रदान करने के लिए उसकी क्षति या हानि की गंभीरता की प्रकृति को पर्यवेक्षित करते हुए अपराधी को दण्डित करते समय यह निर्णय देता है कि वह उत्पीड़ित व्यक्ति को क्षतिमूल्य प्रदान करे। सम्प्रति अनेक देशों में उत्पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति या हर्जाना की समस्या के संदर्भ में पुन:परीक्षण करने की दिशा में एक आन्दोलन जारी है। स्वीडिश की संसद में सन् 1926 में इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान पारित किया गया था। ब्रिटेन में दिसम्बर सन् 1914 तथा न्यूजीलैण्ड में जनवरी सन् 1964 से उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिये क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आधुनिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। भारतवर्ष में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 एवं 358 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट अनुभव किया जा रहा है कि अपराधी अपने कृत्य के लिये क्षतिपूर्ति की अदायगी करने की स्थिति में नहीं होता है, अपराधी वकील एवं अपराधशास्त्री इस समस्या की गम्भीरता पर चिन्तन-मनन करते हुये यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्पीड़ित व्यक्ति की क्षति, हानि या मृत्यु के लिये क्षतिमूल्य की अदायगी राज्य द्वारा की जानी चाहिये। ऐसा उदाहरण श्रमिकों के क्षतिपूर्ति विधानों या औद्योगिक क्षति कानूनों में पाया जाता है, जो कई पीढ़ियों से अनेक देशों में विद्यमान है। उत्पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिये राज्य उत्तरदायित्व का न होना हास्यास्पद तब बन जाता है जब कोई आधुनिक देशों में अपराधी को पुन:स्थापित करने के संदर्भ में परिवीक्षा, कारागार एवं पेरोल या उत्तर संरक्षण कार्यक्रमों, प्रशासन पर ध्यान संकेन्द्रित करता है। नि:संदेह आज का राज्य उत्पीड़ित व्यक्ति और उसके आश्रितों को क्षतिमूल्य दिलवाने में यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में अभिरुचि अवश्य लेता है। किन्तु व्यावहारिक रूप में उसको साकार करने में कोसों दूर हैं। अत: यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है कि यदि राज्य उत्पीड़ित व्यक्तियों के हितार्थ बहुत कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या वह उनको कुछ भी नहीं कर सकता है? विश्व में क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की घोषणा करने वाले राज्यों के अध्ययन के आधार पर यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब तक किसी भी राज्य ने राज्य स्तरीय क्षतिपूर्ति करने की योजना को कार्यान्वित करने में बहुत विशेष अभिरुचि प्रकट नहीं की है। तथापि, यह भविष्यवाणी करना युक्तियुक्त होगा कि विश्व के अधिकांश राज्यों में उत्पीड़ित व्यक्तियों को राज्य द्वारा भुगतान करने की एक व्यवस्था अवश्य स्थापित की जायेगी।

प्रासांगिक विचार:-

उत्पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पीड़नशास्त्र का परिप्रेक्ष्य है, किन्तु यह उस व्यवहार विज्ञान परिप्रेक्ष्य से भिन्न है जो कर्ता में अपराध अभिप्रेरित करने में उत्पीड़ित व्यक्ति की भूमिका स्थापित करने का प्रयास करता है। उत्पीड़ित व्यक्तियों की ऐसी बहुत कम संख्या है जो स्पष्टत: अविचारित

अभिप्रेरणात्मक भूमिका की अदायगी करते हैं और न्यायालय उन्हें क्षतिपूर्ति से वंचित करने में न्यायसंगत निर्णय देता है।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. बी.मेन्डलसोंन, ''दि ओरिजन आफ विक्टिमोलॉजी'', वाल्यूम 3, मई-जून 1963, पृष्ठ 239-241
2. हन्स बॉन हेन्टिंग ''दि क्रिमिनल एण्ड हिज विक्टिम'', येल विश्वविद्यालय, प्रेस न्यू हेवेन, 1948
3. चार्ल्स हसी, ब्रिटेन पेज दि विक्टिम आफ दि क्राइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, फरवरी 21, 1965 सेक्शन 6 (मैगजीन)
4. ''दि स्टेटस ऑफ दि न्यूजीलैण्ड'', 1963 वाल्यूम, विलिंग्टन, 1964, नं. 134, पेज 861-875
5. प्रो. श्यामधर सिंह, अपराधशास्त्र के सिद्धान्त, सपना अशोक प्रकाशन, वाणारसी।